

प्रस्तावना

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्व में विस्फोटक विभाग) दिनांक 09.09.1898 को स्थापित किए जाने के बाद से ही जोखिम वाले, जैसे विस्फोटक विनिर्माण, संपिडित गैसों तथा पेट्रोलियम से संबंधित परिसरों के संबंध में सुरक्षा को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यान्वित है । इस संगठन ने जोखिम वाले पदार्थों के विनिर्माण/परिष्करण, भण्डारण, परिवहन, हैण्डलिंग और उनके उपयोग में सुरक्षा से संबंधित विषयों में एक सदी से भी अधिक समय से एक अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है । संगठन ने अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों तक अपने सामान्य वैधानिक दायित्वों के अतिरिक्त जन सुरक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर भी स्वेच्छापूर्वक उत्कृष्ट स्तर की भूमिका निभाई है जिनमें विस्फोटकों का परीक्षण एवं डिस्पोजल, इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक डिवाइस शामिल हैं । इनमें से कुछ देश के स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों आदि के दौरान राष्ट्रीय महत्व के थे । पिछले सदी के नब्बे के दशक तक इस संगठन के अधिकारियों ने पूरे भारत वर्ष में एन्टी-सैबोटेज-चेक एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं विमान पतन, आदि की सुरक्षा का दायित्व भी पूरा किया । इस संगठन ने देश की पुलिस/सुरक्षा एवं गुप्तचर कर्मियों को विस्फोटकों/विस्फोटक डिवाइस एवं अन्य विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने, उनके परीक्षण व उनके सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल के बारे में प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि इस तरह की कोई अन्य एजेन्सी देश में नहीं थी । पिछले कई वर्षों में इस संगठन की गतिविधियों में कई गुना बढ़ोतरी तथा अनेक क्षेत्रों में विस्तार हुआ है । वर्तमान में यह संगठन विस्फोटक, पेट्रोलियम, संपिडित गैसों, दाब पात्र, गैस सिलेण्डरों, पेट्रोलियम/ संपिडित गैसों की क्रॉसकंट्री पाईपलाइन्स, एलएनजी, सीएनजी, ऑटो एलपीजी आदि से जुड़े व्यापक विषयों का कार्यभार संभाल रहा है ।

यह संगठन जिसमें कुल 137 अधिकारियों की स्वीकृत संख्या में से केवल 94 अधिकारी ही वर्तमान में कार्यरत हैं और आकार में अनेक सरकारी विभागों से काफी छोटा होने के उपरांत भी एक ऐसा संगठन है जो 2.51 लाख से भी अधिक जोखिम वाले परिसरों की सुरक्षा में कार्यरत है तथा अनेक उद्योगों और उपयोगकर्ता कंपनियों को विशेषज्ञ के रूप में तकनीकी एवं सुरक्षा मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, रेलवे, जहाजरानी, भूतल परिवहन, पर्यावरण एवं वन, नागरिक उड्डयन और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रतिष्ठान समाहित हैं ।

प्रारंभ में इस संगठन का दायित्व विस्फोटक अधिनियम (1884 का 4) को लागू करना था, जिसमें विस्फोटक भंडारण मैगजीनों का निरीक्षण तथा विस्फोटकों के भण्डारण एवं परिवहन से संबंधित होने वाली दुर्घटनाओं की जाँच तक ही सीमित था । इसके उपरांत दिनांक 17.02.1899 को लागू पेट्रोलियम अधिनियम (1899 का 8) तथा पेट्रोलियम नियम और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए

कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987 का प्रवर्तन भी इस विभाग को सौंपा गया । हालांकि, उस समय विभिन्न प्रांतों में प्रचलित विभिन्न प्रांतीय नियमों के कारण पेट्रोलियम अधिनियम और नियम के प्रभावी प्रशासन में कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी ।

पूरे देश में इन नियमों के संबंध में एकरूपता लाने के उद्देश्य से चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोझिक्स ने नये नियमों को लागू करने का प्रयास किया जो कि सभी की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुरूप थे । अंततः दिनांक 30.03.1937 को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 को अनुसूचित किया गया जिसने उस समय लागू विभिन्न राज्यों व केन्द्र के नियमों को समाप्त कर दिया । दिनांक 18.02.1937 को एक समेकित कैलशियम कार्बाईड नियम लागू किया गया । देश की स्वतंत्रता के उपरांत जोखिम परंतु उपयोग वाली सामग्री जैसे विस्फोटक, पेट्रोलियम आदि को भारत गणराज्य की यूनियन सूची में स्थान प्राप्त हुआ । तत्पश्चात पेट्रोलियम नियम 1937 को सम्यक रूप से पुनरीक्षित कर उसके स्थान पर पेट्रोलियम नियम, 1976 लागू किये गये जिन्हे वर्तमान परिस्थितियों, नई तकनीक के आने तथा राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा दिये गये रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये दिनांक 13/03/2002 को नए पेट्रोलियम नियम 2002 लागू किए गए । तत्पश्चात दिनांक 02/02/2007 और 15/06/2011 को दो संशोधन किए गए ।

इस दौरान विस्फोटक नियमों में भी कई परिशोधन एवं संशोधन किये गये जिसके कारण विस्फोटक नियम 1918 को विस्फोटक नियम 1940 द्वारा पुनरीक्षित किया गया, जिन्हे पुनः विस्फोटक नियम 1983 के द्वारा बदला गया । उपरोक्त नियमों को पुनः बृहत रूप से समालोचित कर दिनांक 29.12.2008 से विस्फोटक नियम 2008 लागू किए गए । अमोनियम नाइट्रेट के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्रम में तथा खनन और विस्फोटक विनिर्माण उद्योगों में इसके उत्पादन और उपयोग को विनियमित करने के लिए, विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट नियम बनाए गए जो दिनांक 11/07/2012 से प्रवृत्त हुए ।

वर्ष 1952 में ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम लागू हुए । गैस सिलेण्डर नियम जो 1940 में बनाए गये थे, उन्हें नए बृहत गैस सिलेण्डर नियम 1981 से प्रतिस्थापित किया गया । भारत सरकार की उदारीकरण नीति के कारण दिनांक 21/08/2004 से लागू इन नियमों को पुनः पुनरीक्षित कर नए गैस सिलेण्डर नियम, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

अज्वलित दाबपात्र में प्रपुंज संपिंडित गैसों के दाब पात्र में सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन हेतु पहली बार स्थिर तथा गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम 1981 को देश में लागू किया गया । नये क्षेत्र जैसे क्रायोजेनिक लिक्विड्स, ऑटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन, आदि को समाहित करने हेतु इन नियमों को समय-समय पर उचित रूप से संशोधित किया गया ।

संगठन ने अपनी जटिल कार्यप्रणाली व संवर्धित उत्तरदायित्वो, जिनमें इस विशाल देश के कोने-कोने में सुरक्षा प्रावधानो को लागू करना शामिल है, को सुचारू रूप से अनुपालन किये जाने तथा

कार्यप्रणाली को आधुनिक रूप देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न उपकरणों /मोड्यूलों का उपयोग करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप इस संगठन के सभी कार्यालयों का एक नेटवर्क, जिसका सेंट्रल सर्वर नागपुर में स्थापित है, गठित किया गया है। साथ ही संगठन के सभी डाटा बेस को डिजीटाईज्ड कर इंटरनेट के द्वारा आम जनता की पहुँच इस डाटा बेस तक उपलब्ध कराई गई है। संगठन की वेबसाईट (peso.gov.in) पर सभी जनसदस्य अपने आवेदनो की स्थिति जान सकते हैं। विद्यमान अनुज्ञप्ति धारकों तथा नए आवेदकों को सुविधापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत विभिन्न आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु संगठन द्वारा जनता के लिए पब्लिक पोर्टल उपलब्ध किया गया है। संगठन द्वारा कार्यान्वित अन्य नियमों के अंतर्गत इसी तरह की सुविधाएं तथा विभिन्न नियमों के अंतर्गत लागू फीस के ऑनलाइन प्रेषण का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही जनता के लिए उपलब्ध किया जाएगा। आधुनिक तकनीक, नई कम्प्यूटरीकृत कार्यप्रणाली, उन्नत मानवशक्ति का उपयोग कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षित कर एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करना संगठन का उद्देश्य है। जिस तरह सुरक्षा के क्षेत्र में सभी संबंधित उद्योगों, विभिन्न सरकारी विभागो/संस्थानो तथा स्वायत्त निकायों द्वारा जोखिम वाले पदार्थों के हैंडलिंग में संगठन की सलाह और मार्गदर्शन की मांग है, उससे सदी से भी अधिक अवधि में संगठन द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा परिलक्षित होती है।

सबसे कुशल तकनीकी कार्य-बलयुक्त, सौहार्दपूर्ण काम करने की स्थिति, सक्रिय दृष्टिकोण, ज्ञान संवर्धन में उन्नयन, आईटी तकनीक का परिनियोजन और सुरक्षा हेतु समर्पण युक्त होकर आने वाले वर्षों में संगठन उत्कृष्टता की नई उंचाईयों की ओर अग्रसर है।

टी. आर. तोमस
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

संगठन की भूमिका और कार्य

अग्नि और विस्फोटों से जनजीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संगठन को एक संविधिक प्राधिकरण के रूप में, विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:-

विस्फोटक अधिनियम 1884 :

1. विस्फोटक नियम, 2008
2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012
3. गैस सिलेन्डर नियम, 2004
4. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981
5. एसिटिलिन जनरेटर से संबंधित अधिसूचना सं. जीएसआर 625(ई) दि.07.08.1983

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 :

1. पेट्रोलियम नियम, 2002
2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987
3. चलचित्र फिल्म नियम, 1948

संगठन को मूल रूप से दो प्रकार की प्रमुख भूमिकाएं सौंपी गई हैं, जो हैं वैधानिक भूमिका और सलाहकार की भूमिका। उपरोक्त भूमिकाओं के अंतर्गत संगठन की गतिविधियों को संक्षिप्त में नीचे वर्णित किया गया है :-

2.1: वैधानिक भूमिका

विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत संगठन की वैधानिक भूमिका निम्नानुसार है :-

2.1.1: विस्फोटक नियम, 2008

साइट ले-आउट और परिसर के निर्माण योजना का अनुमोदन, विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन और आयात/ निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना, विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा, विस्फोटकों का अनुमोदन, विस्फोटकों के पैकिंग के लिए पैकेजिंग का अनुमोदन, औजार, उपकरणों और मशीनरी आदि सहित विस्फोटकों के विभिन्न प्रकार के विनिर्माण के लिए सुरक्षित कार्यपद्धति और तरीकों का निर्धारण, विस्फोटक नियम के अंतर्गत संगठन की अन्य गतिविधियां हैं। संगठन विस्फोटकों से जुड़ी दुर्घटनाओं की जांच करता है और जनसुरक्षा हेतु अनुपयोगी/ ज्वलन विस्फोटकों का नष्टीकरण करता है।

संगठन अनुज्ञप्ति/अनुमोदन जारी करते समय नए परिसरों के सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु परिसरों का निरीक्षण तथा सुरक्षा जांच करता है तथा अनुज्ञप्त/अनुमोदित परिसरों का आवधिक निरीक्षण भी करता है ।

2.1.2: अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012

दिनांक 10 दिसंबर 2008 को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2899(ई) के द्वारा केन्द्र सरकार ने "अमोनियम नाइट्रेट या उसके संयोजन" को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक विशेष वर्ग विस्फोटक पदार्थ के रूप में को निर्दिष्ट किया है । इसके अतिरिक्त, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1678(ई) दिनांक 21 जुलाई 2011 के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र NH_4NO_3 है या किसी भी संयोजन में वजन में 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट होने पर, जिसमें इमल्शन, सस्पेन्शन्स, मेल्ट्स या जेल्स (अकार्बनिक नाइट्रेट के साथ या उसके बिना) शामिल हैं, विस्फोटक अधिनियम 1884 के अर्थ के अंतर्गत विस्फोटक समझा जाएगा ।

अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, जहाजीकुली और बैगिंग, आयात, निर्यात, परिवहन, अमोनियम नाइट्रेट को बिक्री या उपयोग हेतु रखने पर नियंत्रण रखने के लिए, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.553(ई) दिनांक 11 जुलाई 2012 के द्वारा, अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 प्रकाशित किए ।

साइट लेआउट, परिसर निर्माण योजना का अनुमोदन, अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और बिक्री या उपयोग हेतु रखने के लिए अनुज्ञप्ति या द्रव का ठोस में या विलोमतः रूपांतरण, जहाजीकुली, बैगिंग, भंडारण, अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन, आयात, निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत प्रमुख कार्य हैं ।

संगठन द्वारा जनता की सुरक्षा हेतु उन दुर्घटनाओं की जांच की जाती है जिनमें अमोनियम नाइट्रेट शामिल है तथा बेकार/जब्त अमोनियम नाइट्रेट को नष्ट भी किया जाता है ।

2.1.3: गैस सिलेण्डर नियम, 2004

भारत सरकार की अधिसूचना सं. एम-1272(1) दि. 28 सितम्बर 1938 में पहली बार गैस सिलेण्डर नियम प्रकाशित हुए थे जिसमें यह घोषित किया गया कि कोई भी गैस जो मेटल कंटेनर में संपीडित या द्रवित रूप में अंतर्विष्ट है, वह विस्फोटक अधिनियम 1884 के अर्थ के अंतर्गत- विस्फोटक है। स्वतंत्रता के पश्चात गैस उद्योग में विकास के मद्देनजर व्यापक पुनरीक्षण के पश्चात उपरोक्त नियम गैस सिलेण्डर नियम, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं । आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण, एलपीजी का घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग, पर्यावरण संरक्षित आटोमोटिव ईंधन के रूप में सीएनजी और एलपीजी का प्रारंभ, नई तकनीक, आदि के आगमन के कारण 20 वीं सदी के अंतिम दो दशकों में गैस उद्योग एवं इससे जुड़े उद्योगों का महापुंज विस्तार हुआ, जिसके

परिणामस्वरूप दोबारा समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई तथा संशोधन कर नए गैस सिलेण्डर नियम, 2004 बनाए गए ।

इन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख कार्य सम्मिलित है:-

सिलेण्डर, वॉल्व, एलपीजी रेगुलेटरो के विनिर्माण इकाइयों को अनुमोदन प्रदान करना तथा इन उपकरणों का डिजाईन अनुमोदन। गैस सिलेण्डर भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन, भरे हुए सिलेण्डरों के भण्डारण परिसर तथा सिलेण्डर/वॉल्व के आयात का अनुज्ञप्तिकरण । इसके अलावा सिलेण्डर भरण अनुमति, सिलेण्डर परीक्षण केन्द्र, आदि को मान्यता, सिलेण्डरो, वॉल्व, रेगुलेटरो, आदि के मानकों के बनाने में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । संगठन इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सुरक्षा जागृकता लाने के उद्देश्य से गैस इन्स्टॉलेशन, भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन, सिलेण्डर, वॉल्व तथा रेगुलेटर विनिर्माण इकाइया, आदि जो उपरोक्त नियमों के अंतर्गत अनुमोदित/अनुज्ञप्त है, की नियमित रूप से संपरीक्षा करता है ।

नियमों के विनियमन तथा सरलीकरण के संदर्भ में गैस सिलेण्डर नियम, 2004 की मुख्य विशेषताएँ हैं :-

- क 2500 लि. क्षमतावाले स्पेशल कंटेनरो तथा नॉन-मेटालिक मटेरियल से बने कंपोजिट सिलेण्डरों को गैस सिलेण्डर नियमों के अंतर्गत लाने के लिए इन नियमों की व्याप्ती बढ़ाना।
- ख भरे हुए सिलेण्डरों को बिना अनुज्ञप्ति रखने की छूट की सीमा बढ़ाना और अनुज्ञप्ति प्रदान करना तथा नवीकरण की अवधि बढ़ाना ।
- ग भरण संयंत्र के निर्माण, सिलेण्डरो के एक गैस सर्विस से दूसरे में परिवर्तित करना तथा अविषैली अज्वलनशील गैसों का सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच सिलेण्डर-भरण तथा इन सभी के लिए विनिर्देशों तथा प्लान के पूर्वानुमोदन की जरूरतों को पूर्ण करना ।
- घ अनुज्ञप्तीधारक की मृत्यु या स्वामित्व बदलने पर अनुज्ञप्ति के अंतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण।

2.1.4: स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981

इन नियमों के प्रशासन से संबंधित संगठन के कार्य निम्नलिखित हैं :-

दाब पात्र सेफ्टी फिटिंग के फैब्रिकेशन शॉप और उनके डिजाइन हेतु अनुमोदन, संपिडित गैस के भण्डारण के अधिष्ठापनों तथा सडकों द्वारा उन गैसों के परिवहन हेतु अनुज्ञप्तियां, पात्रों के आयात हेतु अनुमति, पात्रों के निर्माण/ सुधार, अंतिम परीक्षण और आवधिक परीक्षण के समय निरीक्षण तथा प्रमाणित करने के लिए अभिकर्ताओं/सक्षम व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना ।

संगठन द्वारा नए परिसरों को अनुज्ञप्तियां/अनुमोदन प्रदान करते समय सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु निरीक्षण और सुरक्षा जांच की जाती है और आवधिक निरीक्षण भी किया जाता है । उपरोक्त कार्यों में सुरक्षा जांच, आवधिक परीक्षण रिपोर्ट तथा पात्रों के फैब्रिकेटर्स और प्रमाणन एजंसियों के कार्य-निष्पादन का पुनरीक्षण भी शामिल है ।

2.1.5: एसिटिलीन संबंधी दिनांक 07.08.1983 की अधिसूचना सं.जीएसआर. 625-(ई)

एसिटिलीन जब द्रव हो या दबाव में हो या वायु या आक्सीजन के साथ मिश्रण में हो, तो वह अति विस्फोटक होती है। एसिटिलीन का उत्पादन और एसिटिलीन जनेरेटर का अनुमोदन इस अधिसूचना के अंतर्गत शासित है। संगठन एसिटिलीन जनेरेटर के विभिन्न प्रकार तथा एसिटिलीन संयंत्र को अनुमोदन प्रदान करता है। कार्यरत एसिटिलीन सिलेण्डर फिलिंग संयंत्र के नियमित निरीक्षणों के अलावा, प्रत्येक जनेरेटर निष्पादन का मूल्यांकन करने के साथ ही उनकी योग्यता के निर्धारण हेतु विनिर्माता के स्थान पर तथा एसिटिलीन जनेरेटर विनिर्माण सुविधाएं तथा जनेरेटर स्थापित किए गए कारखानों में, अधिकारियों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के साथ संयुक्त रूप से जनेरेटरों के ट्रायल रन लिए जाते हैं।

2.1.6: पेट्रोलियम नियम, 2002

अधिनियम और नियमों के अंतर्गत पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन द्रव या हाइड्रोकार्बन द्रव का मिश्रण और हाइड्रोकार्बन द्रव मिले हुए किसी ज्वलनशील मिश्रण से परिभाषित किया गया है। इन नियमों के प्रशासन संबंधी निम्नलिखित कार्यों के अनुमोदन समाविष्ट है - रिफाईनरी, पेट्रोकेमिकल तथा तेल और गैस प्रसंस्करण संयंत्र, पेट्रोल का भूमिमार्ग व पाइपलाइनों द्वारा परिवहन, ऐसे स्थानों पर जहां ज्वलनशील गैस तथा वाष्प भरी हो, वहां उपयोग में लाए जाने वाले अन्य उपयुक्त संरक्षित बिजली के उपकरण और अन्य सुरक्षा उपकरणों को फ्लेमप्रूफ करना, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिंग/सर्विस स्टेशन, पेट्रोलियम स्टोरेज अधिष्ठापन, सडकों द्वारा परिवहन करने हेतु टैंक-ट्रकों की अनुमति, एयरक्राफ्ट/ भारी मशीनरी रिफ्युलर का अनुज्ञप्तिकरण और साथ ही डॉक एन्ट्री, मॅन एन्ट्री और हॉट वर्क हेतु पेट्रोलियम ले जा रहे पात्रों/जहाजों को गैस-फ्री सर्टिफिकेट प्रदान करना।

2.1.7: कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987

कैलशियम कार्बाईड को ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ घोषित किया गया है और उसके लिए पेट्रोलियम अधिनियम लागू किया गया है। कैलशियम कार्बाईड नमी के साथ जुड़कर एसिटिलीन गैस निर्मित करता है, जिसकी विस्फोटक सीमाएं अति विस्तृत है। कैलशियम कार्बाईड को भरने के पात्रों को अनुमोदन देने तथा बिक्री या एसिटिलीन के निर्माण हेतु कैलशियम कार्बाईड के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करने का कार्य इन नियमों के अंतर्गत संगठन को सौंपा गया है।

2.1.8: चलचित्र फिल्म नियम, 1948

चलचित्र फिल्मों, जिनमें नाइट्रो-सेलुलोज आधार रहता है, उनका भण्डारण और परिवहन बड़े पैमाने में अग्नि बाधा उत्पन्न करते हैं। इन नियमों के अंतर्गत ऐसी फिल्मों के भण्डारण और परिवहन का कार्य शासित है तथा भण्डारण के परिसरों का अनुज्ञप्तिकरण इस संगठन द्वारा किया जाता है। काफी समय से नाइट्रो-सेलुलोज आधारित फिल्मों से सुरक्षा फिल्मों (पॉलिएस्टर आधार) द्वारा

प्रतिस्थापित किया गया है । अतः यह नियम निरर्थक हो गए है तथा इन्हें निरस्त करने की सिफारिश की गई है ।

2.2 परामर्शकारी भूमिका

विस्फोटकों, पेट्रोलियम, कार्बाईड ऑफ कैल्शियम, गैस सिलेण्डर्स, दाब पात्रों और अन्य खतरनाक वस्तुओं में आग और विस्फोट रोकने हेतु विशेष तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं में विशेषज्ञता लिए, संगठन परामर्श प्रदान करता है । संगठन न केवल उद्योग के लिए वरन सरकारी तथा अन्य संस्थाएं जैसे बंदरगाह, रेलवे, रक्षा-संगठनों, भूतल परिवहन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, आदि के लिए भी परामर्श प्रदान करता है ।

संगठन भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित मानको के फॉरमुलेशन, बंदरगाहों के उप-नियम, इंडियन रेड टैरिफ और खतरनाक वस्तुओं के रेल-मार्ग, भूमि-मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग संबंधित परिवहन के विनियमनों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा गठित सेंट्रल क्रायसिस ग्रूप के सदस्य है और अन्य अधिकारी भी राज्य तथा जिला स्तर पर सेंट्रल क्रायसिस ग्रूप का प्रतिनिधित्व करते है ।

संगठन के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

3.1 निम्नांकित के सम्बन्ध में साईट-ले-आउट व विनिर्माण नक्शों की संवीक्षा तथा मूल्यांकन(अप्रैजल) :

- विस्फोटक विनिर्माण कारखाने
- विस्फोटक भंडारण परिसर
- अमोनियम नाइट्रेट परिसर
- आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने
- आतिशबाजी गोदाम तथा दूकाने
- बल्क मिक्सींग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन
- गैस सिलेण्डर भरण संयंत्र
- सीएनजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- गैस से भरे सिलेण्डरों के लिये भंडारण शेड
- दाब पात्रों में संपीडित गैसेस हेतु प्रपुंज भण्डारण अधिष्ठापन
- आटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- पेट्रोलियम भंडारण शेड
- पेट्रोलियम के परिवहन के लिए टैंक ट्रक
- पेट्रोलियम तथा गैस के परिवहन के लिए क्रास-कंट्री पाईपलाईन्स
- पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन
- कैलशियम कार्बाइड भंडारण परिसर

3.2: विस्फोटक वैन, बल्क मिक्सींग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन, दाबपात्रों में बल्क संपीडित गैस/क्रायोजनिक लिक्विड के परिवहन के लिए वाहन, सुरक्षा फिटिंग सहित पेट्रोलियम कंटेनर और टैंक ट्रक के डिजाइन व रचना, इन सभी प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु संवीक्षा तथा उनका मूल्यांकन ।

3.3: उपरोक्त संदर्भित 3.1 तथा 3.2 के अंतर्गत परिसरों/इकाइयों/वाहनो आदि के अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित कार्य ।

3.4: अनुमोदन जारी करने हेतु पेट्रोलियम परिष्करणों, पेट्रोकेमिकल इकाइयों, कैलशियम कार्बाइड कारखानो तथा एसीटीलीन गैस जनरेटिंग संयंत्र के लेआउट, आदि की संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.5: लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के साथ-साथ अन्य ज्वलनशील गैस/खतरनाक रसायनों हेतु डिजाइन, निर्माण, पाईपलाईन के लेईंग एवं ऑपरेशन आदि के प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.6: भारत मे निर्मित और आयातित दाब पात्रों तथा उनके फिटिंग्स के डिजाइन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

- 3.7: एलपीजी रेगुलेटर्स सहित भारत में निर्मित और आयातित गैस सिलेण्डरों तथा उनमें लगे वाल्वों के डिजाइन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।
- 3.8: भारत में निर्मित और आयातित अज्वलनशील, आंतरिक रूप से सुरक्षित तथा ज्वलनशील गैसों/वाष्पों से भरे संकटपूर्ण स्थानों के लिए उपयोगी विशेष विद्युत उपकरणों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।
- 3.9: दाबपात्र और उनकी फिटिंग निर्माण करनेवाले कारखानों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।
- 3.10: सिलेण्डर परीक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने के लिए सिलेण्डरों के आवधिक परीक्षण हेतु परीक्षण केन्द्रों के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।
- 3.11: विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम व्यक्तियों एवं निरीक्षकों को मान्यता ।
- 3.12: शॉट फायरर परमिट और फोरमेन प्रमाणपत्र जारी करना ।
- 3.13: उपरोक्त उल्लिखित ईकाइयों की नियमित जाँच ।
- 3.14: खराब, दावा न किए हुए /अनुपयोगी/जब्तशुदा विस्फोटकों का नष्टीकरण ।
- 3.15: हॉट वर्क, पेट्रोनियम टैंकों में मैन एन्ट्री तथा डॉक में इन पात्रों के प्रवेश होने से पूर्व इनके लिए गैस-फ्री प्रमाण पत्र देने के लिए पात्रों का परीक्षण करना ।
- 3.16: विभाग द्वारा संचालित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत आने वाले पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण एवं किए गए उल्लंघन को जानने हेतु दुर्घटनाओं की जाँच करना
- 3.17: विस्फोटकों के आयात, निर्यात एवं परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना ।
- 3.18: अनिवार्य परीक्षण और जाँच के बाद नये विस्फोटकों को अधिकृत करना ।
- 3.19: आयात किए हुए और भारत में निर्मित सभी गैस सिलेण्डरों के भरण/उपयोग के लिए अनुमति देना ।
- 3.20: गैस सिलेण्डरों एवं दाबपात्रों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति/परमिट जारी करना ।
- 3.21: विभिन्न नियमों के अंतर्गत आवधिक विवरणी की संवीक्षा ।
- 3.22: नियमों में संशोधन एवं पुनरीक्षण तथा जन-सुरक्षा में, जहां भी जरूरी हो, छूट देना ।
- 3.23: बन्दरगाह, हवाई अड्डा और रेलवे अधिकारियों को अनुरोध पर निम्नलिखित हेतु सलाह:-
- परिसंकटमय वस्तुओं का वर्गीकरण;
 - खतरनाक वस्तुओं का भंडारण/परिवहन के लिए पैकिंग व शर्तों का निर्धारण;
 - विस्फोटकों को लादने/उतारने और परिवहन की सुविधाओं के लिए स्थान, विस्फोटक, ज्वलनशील एवं अन्य खतरनाक पदार्थों के ट्रांजिट भंडारण के लिए स्थान का चयन ।
- 3.24 :खतरों के वर्गीकरण के लिए विस्फोटक/संकटमय वस्तुओं की जांच/परीक्षण ।
- 3.25 :उपर वर्णित अधिनियमों और नियमों से सम्बन्धित खतरनाक पदार्थों, विस्फोटक, ज्वलनशील व अन्य खतरनाक वस्तुओं के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार, उद्योग और अन्य संगठनों को सलाह देना ।
- 3.26 रक्षा मंत्रालय, भारतीय मानक संस्थान (बी.आई.एस.) और अन्य मंत्रालयों व विभागों द्वारा नियुक्त अनेक समितियों में बतौर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में भाग लेना ।
- 3.27 : खतरनाक रासायनों को सुरक्षित तरीके से संभालने, पेट्रोलियम-उत्पाद, विस्फोटक तथा संपीडीत गैसों से सम्बन्धित अनेक संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठी, परिचर्चा और कार्यशालाओं में भाग लेना ।

प्रशासन, बजट और अवसंरचना

4.1 स्वीकृत पद तथा अवसंरचना

वर्तमान में इस संगठन में 137 ग्रूप - 'ए' अधिकारी और 343 ग्रूप 'बी', 'सी', और 'डी' कर्मचारियों की स्वीकृत क्षमता है। उपरोक्त पदों में से ग्रूप 'ए' के 42 पद और 61 ग्रूप 'बी', 'सी' तथा 'डी' के पद विभिन्न प्रशासनिक कारणों से रिक्त है। **मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन का **मुख्यालय नागपुर** में है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फरीदाबाद एवं आगरा में पेसो के 5 अंचल कार्यालय स्थित है जिनका नेतृत्व **संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** करते हैं। विभिन्न अंचल कार्यालयों के अधिन **उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में संगठन के 13 उप-अंचल कार्यालय तथा **विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में 5 उप-अंचल कार्यालय है। **उप विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में विभागीय परीक्षण केंद्र (डी.टी.एस.), गोंडखैरी में स्थित है तथा विस्फोटक नियंत्रक के नेतृत्व में आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी. सी.) सिवाकासी में स्थित है। संगठन का सेटअप और विभिन्न अंचल और उप अंचल कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र क्रमशः अनुबंध- I और II में सारांशित है।


4.2 बजट एवं व्यय

वर्ष 2013-2014 के दौरान संगठन को नॉन प्लान बजट में रुपये 29,06,84,000/- तथा प्लान बजट में रुपये 2,10,00,000/- की स्वीकृती प्रदान की गई थी। वर्ष 2013-2014 के दौरान नॉन प्लान बजट में रुपये 27,66,43,858/- एवं प्लान बजट के तहत रुपये 2,09,81,455/- का व्यय किया गया।

4.3 राजस्व

वर्ष 2013-2014 के दौरान संगठन द्वारा विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं की फीस के रूप में रुपये 72,09,84,541/- अर्जित किये गये जिसमें विस्फोटक अधिनियम से रुपये 39,01,35,925/- एवं पेट्रोलियम अधिनियम से रुपये 33,08,48,616/- प्राप्त हुए।

राजस्व तथा व्यय (नॉन प्लान)



**विभागीय परीक्षण केन्द्र (डीटीएस) और
आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफआरडीसी)**

5.1 विभागीय परीक्षण केन्द्र (डीटीएस)

5.1.1 परिचय

विभागीय परीक्षण केन्द्र नागपुर से 18 कि.मी. की दूरी पर नागपुर-अमरावती रोड राजमार्ग सं 6, ग्राम गौंडखैरी जिला नागपुर में स्थित है। 81 एकड भूमि में व्याप्त परीक्षण केन्द्र, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर के समग्र मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्यरत है।

इस विभागीय परीक्षण केन्द्र का विकास मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं पेट्रोलियम अधिनियम 1934 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संविधिक परीक्षण कार्य के लिए किया गया है।

यह परीक्षण केन्द्र गुणता नियंत्रण सम्बन्धी परीक्षण और उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए, विशेष रूप से विस्फोटक विनिर्माण हेतु, विभिन्न सामग्री और उपकरणों के लिए अन्य परीक्षणों की सेवाएं प्रदान करता है जिसमें विस्फोटक और इसके उपसाधन के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत में अपनी तरह का पहला संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण परीक्षण भी शामिल है।

विभागीय परीक्षण केन्द्र के प्रकार्य :

विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत विभिन्न सामग्री और उपकरणों के सुरक्षित विनिर्माण / गुणता नियंत्रण के लिए विभागीय परीक्षण केन्द्र निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है -

1) संविधिक परीक्षण

| संख्या | नियम | परीक्षण का उद्देश्य |
|--------|---|---|
| 1 | विस्फोटक नियम 2008 | <ol style="list-style-type: none"> विस्फोटक पदार्थों के प्रस्तावित नए उत्पादों को प्राधिकृत करने के संबंध में। प्राधिकृत विस्फोटक की सूची में रखने अथवा हटाए जाने का निर्णय लेने हेतु अनुवर्ती वार्षिक परीक्षण। विस्फोटक के पैकेजिंग का अनुमोदन। |
| 2 | पेट्रोलियम नियम, 2002 | <ol style="list-style-type: none"> टैंक ट्रक सेफ्टी फिटिंग्स के डिजाइन का अनुमोदन। विनिर्माण अनुमोदन के पुनर्विधिमान्यकरण के लिए अनुवर्ती परीक्षण। पेट्रोलियम के मेटल कंटेनर का अनुमोदन। |
| 3 | गैस सिलेण्डर नियम, 2004 | भारतीय मानक ब्यूरो के संगत मानकों के अनुसार उपलब्ध एलपीजी एवं संपीडित गैस सिलेण्डर के लिए सांविधिक परीक्षण की सुविधा। |
| 4 | स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, | परीक्षण कार्य विकासाधीन। |

| | |
|------|--|
| 1981 | |
|------|--|

2): गुणता नियंत्रण परीक्षण

परीक्षण केन्द्र, संगठन द्वारा प्रशासित अधिनियमो/नियमो के अंतर्गत किए गए उत्पादन के कार्य क्षेत्र में गुणता परीक्षण सेवाएं भी देता है।

3): यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण (विस्फोटको के निर्यात के लिए नई सीमा)

खतरनाक माल के परिवहन के लिए यू.एन.विनियमन के अनुसार विस्फोटक उत्पादन, विशेषतापूर्ण पैकेजिंग डिजाईन के साथ, विस्फोटक उद्योगो को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन का निर्यात प्रतियोगी कीमत पर करने के लिए, विभागीय परीक्षण केन्द्र द्वारा यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण की सुविधा देने की शुरुवात की है ।

परीक्षण परीणाम मुल्यांकन के निर्धारण के पश्चात विशेषतापूर्ण पैकेजिंग डिजाईनवाले उत्पादन का ग्रूप बीआईएस के अनुरूप 1.4 में वर्गीकृत किए जाते हैं । महानिदेशक जहाजरानी, विभागीय परीक्षण केंद्र के निर्धारण एवं परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है । निर्यातक अपने 1.4 वर्गीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त उत्पादन जनरल कार्गो शिप के द्वारा शिप कर सकते हैं, बजाए विस्फोटक कार्गो शिप से जिससे माल-भाडे में काफी बचत होगी । सभी निर्यातक इन जहाजों की आसान सुविधा का लाभ उठाते हैं जिससे वह अपना माल समय से पहुँचा सकते हैं क्योंकि विस्फोटक कार्गो शिप की सिमित उपलब्धता के कारण माल पहचाने में विलम्ब होता है।

4) नमूनों का परीक्षण

विभागीय परीक्षण केन्द्र में वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नांकित नमूनों की जांच की गई:-

| संख्या | विवरण | मात्रा (संख्या) |
|--------|--|-----------------|
| 1. | विस्फोटक | |
| | स्लरी ₂ इमलशन वर्ग/ | 218 |
| | पेन्टोलाईट बूस्टर वर्ग ₃ -प्रभाग ₂ | 26 |
| | आतिशबाजी | 291 |
| | सेफ्टी फ्यूज | 6 |
| | गन पाऊंडर | 3 |
| | डिटोनेटर | 249 |
| | डिटोनेटिंग फ्यूज | 47 |
| .2 | विस्फोटक के सीएफबी पैकेजेस | |
| | नए अनुमोदन के नमूने | 22 |
| | अंचलउप/-अंचल अधिकारियों द्वारा प्राप्त नमूने | 178 |
| .3 | पेट्रोलियम टैंक ट्रकसेफ्टी फिटिंग्स | |

| | |
|-------------------|----|
| नए अनुमोदन हेतु | 55 |
| पुनर्वैधता हेतु : | -- |

5) विस्फोटकों का निस्तारण -

परीक्षण केन्द्र में शेष नमूनों का निस्तारण -

| | |
|-----------------|---------------------------|
| वर्ग 1 | -- |
| वर्ग 2 | 3213.485 किलोग्राम |
| वर्ग 3 प्रभाग 2 | 22.75 किलोग्राम |
| वर्ग 6 प्रभाग 1 | -- |
| वर्ग 6 प्रभाग 2 | 1321 मीटर |
| वर्ग 6 प्रभाग 3 | -- |
| वर्ग 7 प्रभाग 2 | -- |

6) अनुपयोगी विस्फोटकों का निस्तारण -

| | |
|-----------------|------------------------|
| वर्ग 1 | -- |
| वर्ग 2 | 2174 किलोग्राम |
| वर्ग 3 प्रभाग 2 | -- |
| वर्ग 6 प्रभाग 1 | 42 मीटर |
| वर्ग 6 प्रभाग 2 | 274434 मीटर |
| वर्ग 6 प्रभाग 3 | 1128532 संख्या. |
| वर्ग 7 प्रभाग 2 | - |

राजस्व

वर्ष 2013-14 के दौरान विभागीय परीक्षण केन्द्र ने रूपये **80,13,520/-** राजस्व अर्जित किया ।

आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी.सी.) सिवाकासी (तमिलनाडु)

5.2 आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी.सी.)

5.2.1 प्रस्तावना

मा. सुप्रीम कोर्ट के दि. 18.7.2005 केस डब्ल्यू.पी.(सिविल नं 72 - 1998) के निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार, पेसो द्वारा सिवाकासी, राज्य - तमिलनाडु में प्लान स्कीम के अंतर्गत एफ.आर.डी.सी. के निर्माण का कार्य शुरू किया गया ।

दसवे प्लान के अंतर्गत एफ.आर.डी.सी. के सिविल स्ट्रक्चर का कार्य शुरू किया गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है । निष्पादित काम में 2.025 हेक्टर भूमि की खरीद, उसके चारों ओर दीवार, बोरवेल, पानी की पाइपलाइन, लाईट पोस्ट, आंतरिक सड़के, मुख्य इमारत आवासीय प्रयोगशालाएं और संबद्ध सुविधाएं, आदि शामिल हैं । ग्यारहवी योजना के तहत एफ.आर.डी.सी. को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने हेतु उसे तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों की भरती करना प्रस्तावित है ।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसरण में, पेसो द्वारा किए गए विभिन्न समानांतर उपायों के परिणाम निम्नानुसार हैं :

पेसो द्वारा आतिशबाजियों को ध्वनीवाले पटाखों और कलर/लाईट वाले पटाखों में वर्गीकृत किया गया है तथा अपेक्स कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए आतिशबाजियों की प्राधिकृत सूची संशोधित की गई है । जी.एस.आर. सं. 225 दि. 6.9.2006 के भारत का राजपत्र, भाग - II, धारा-3, उप-धारा (i) में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है । एमईपीसीओ, स्कलेन्क इंजिनियरिंग कॉलेज, सिवाकासी, तमिलनाडु के तकनीकी सहायता से, पेसो द्वारा ध्वनीवाले पटाखों के मिश्रण का विकास किया गया जो पर्यावरण के मानकों द्वारा निर्धारित सीमा में है । भारत सरकार की दि. 5.10.99 की अधिसूचना सं. जीएसआर 682(ई) में दिए गए जरूरतों को पूर्ण करने हेतु चार सामान्यतः प्रयुक्त ध्वनी पटाखे- 1. एंटम बॉम्ब, 2. चायनीज पटाखे, 3. मरून्स 4. गारलैंड पटाखों के रसायनिक आकार /प्रकार के विशेष संदर्भ में, उनके विनिर्माण में उसके अनुपात/संरचना, साथ ही उसमें प्रयुक्त हर एक रसायन के अधिकतम अनुमति प्राप्त वजन आदि सूत्र (फॉर्मूला) विनिर्दिष्ट करता है ।

यह सूत्र भारत के सभी आतिशबाजी विनिर्माणकर्ताओं को सख्त अनुपालन हेतु दिया गया है । आम जनता के साथ ही इससे संबंधित सभी के जानकारी हेतु इसे पेसो की वेबसाइट <http://peso.gov.in> पर भी उपलब्ध किया गया है ।

5.2.2. एफ.आर.डी.सी. केन्द्र के प्रकार्य :

एफ.आर.डी.सी. को निम्नलिखित गतिविधियां सौंपी गई हैं:

1. पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी का अनुसंधान और विकास ।
2. आतिशबाजी के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल का परीक्षण ।
3. आतिशबाजी उद्योग में जोखिम वाले प्रक्रिया का यांत्रिकीकरण ।

4. आतिशबाजी के सामान्य प्रदर्शन और ध्वनि के स्तर का परीक्षण ।
5. नए उत्पादों के विकास और सामान्य उत्पादों के मानकीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ।
6. गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन में सुधार ।
7. आतिशबाजी कारखानों के निरीक्षकों और श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
8. दुर्घटनाओं की जांच ।

5.2.3 : नमूनों का परीक्षण और राजस्व निर्माण :

पिछले पांच वर्षों के वर्ष के दौरान आतिशबाजी के नमूनों के परीक्षण की संख्या:

| क्रम संख्या | वर्ष | जमा किए नमूनों की संख्या | प्राप्त राजस्व |
|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2009-2010 | 1203 | रु 4,50,750/- |
| 2 | 2010-2011 | 3418 | रु 80,1050/- |
| 3 | 2011-2012 | 674 | रु 1,02,600/- |
| 4 | 2012-2013 | 831 | रु 3,40,000/- |
| 5 | 2013-2014 | 1701 | रु 3,40,200/- |

ई - गवर्नेन्स

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमों के दायरे में आनेवाले स्टैकहोल्डरों को बेहतर और निर्बाध ई-सेवाएं प्रदान करने के संकल्प के साथ ई-गवर्नेन्स के कार्यान्वयन में पेसो ने एक और उपलब्धि हासिल की है ।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान, पेसो ने कई उपलब्धियां हासिल की उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं;

1. पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए ई-आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए पेसो द्वारा स्टैकहोल्डरों के लिए उन्नत पब्लिक पोर्टल प्रदान किया गया है । अनुज्ञप्तिधारकों को पेसो पोर्टल के साथ रजिस्टर करने के लिए और उनके अनुज्ञप्ति पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई है । पूरे भारत में पेसो के विभिन्न कार्यालयों में अपने ऑनलाइन आवेदन भेजने के लिए यह प्रणाली उन्हें सुविधा उपलब्ध कराती है । जनता को उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन की वर्तमान स्थिति प्राप्त करने के लिए सुविधापूर्ण एक्सेस उपलब्ध कराया गया है । आवेदनों की प्रोसेसिंग के कुछ चरणों पर ईमेल प्राप्त करने के अलावा अनुज्ञप्तिधारक उनके पोर्टफोलियो के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति मानिटर कर सकते हैं । यहाँ इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संगठन को स्टैकहोल्डरों/नए आवेदकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाए प्राप्त हो रही है । पीएसयू ऑईल कंपनियों के अनुज्ञप्तिधारकों के हित के लिए नवीकरण के समय कई अनुज्ञप्तियों के शुल्क के लिए केवल एक डीडी जमा करने की 'ब्लक नवीकरण' जैसी नई मूल्य संवर्धित (वैल्यू ऐडेड) विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है ।
2. संगठन के संबंध में तथा संगठन द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमों के संबंध में ऑनलाइन जानकारी के सुविधापूर्ण एक्सेस हेतु अधिकांश आवेदन माँड्यूलों को भी विभिन्न अतिरिक्त सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित किया गया है ।
3. विभिन्न नियमों के अंतर्गत स्टैकहोल्डरों/नए आवेदकों द्वारा शुल्क के ई-भुगतान की वर्तमान मांग को पूरा करने के क्रम में संगठन इस तरह की ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है । ई-भुगतान सुविधा के प्रावधान के लिए निर्दिष्ट बैंक के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है । संगठन शीघ्र ही जनता के लिए यह सुविधा प्रदान करने की स्थिति में होगी।
4. विस्फोटकों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से संगठन लगातार विस्फोटकों के मूल से अंतिम उपभोक्ता तक रिअल टाइम ऑनलाइन

ट्रेकिंग एंड ट्रेसिंग सिस्टम की दिशा में कार्य कर रहा है । संगठन इस क्षेत्र में काफी हद तक सफल रहा है ।

5. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत विभिन्न रिटर्न ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए मॉड्यूल परीक्षण के चरण में है । यह मॉड्यूल शीघ्र ही शुरू किए जाने की उम्मीद है।

ई-गवर्नेंस के अंतर्गत लागू की गई संगठन की अन्य निम्नलिखित गतिविधियों को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है ।

1. विस्फोटक नियमों के अंतर्गत, वर्तमान ईआरएस (एक्सप्लोसिक्स रिटर्न सिस्टम) का वर्धन किया गया है जिससे क्रेता अनिवार्य रूप से आरई-11 (इंडेंट) जनरेट कर सकें । यह इंडेंट जनरेशन विस्फोटक नियम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत हो रहा है और इससे क्रेता उनके अनुज्ञप्ति क्षमता से अधिक इंडेंट बढ़ा नहीं सकता । इसी तरह, प्रणाली में समाविष्ट अन्य अवरोध आपूर्ति श्रृंखला के व्यवहार में, क्रेता और आपूर्तिकर्ता, दोनों की मदद कर रहे हैं ।
2. आपूर्तिकर्ता के लिए सभी आरई-11 (उनकी कंपनी/फर्म के लिए बनाए इंडेंट) देखने की और आरई-12 तैयार करने की (उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त आरई-11 के आधार पर) सुविधा है। विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत विभिन्न नियमों का अनुपालन करने हेतु, आरई-12 तैयार होना भी प्रणाली में उपलब्ध जाँच से गुजरता है ।
3. विस्फोटकों की वास्तविक प्राप्ति पर, परेषिती, ऑनलाइन विस्फोटकों को ईआरएस में स्वीकृत करता है । इस प्रकार रियल टाइम स्टॉक जानने की तरह की सुविधाओं ने ईआरएस (एक्सप्लोसिक्स रिटर्न सिस्टम) का वर्धन किया है और काफी हद तक विस्फोटकों के व्यवहार को सुव्यवस्थित किया है ।
4. अभिलेखों के उपयोग और अनुरक्षण को कारगर बनाने और इस तरह आरई-7 यानी एक्सप्लोसिक्स रिटर्न तैयार करने के लिए, उपयोग के लिए पास (आरई-13) की शुरुआत यह खानों और अन्य साइटों में विस्फोटकों के उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू की गई एक और पहल है। इस नई पहल से विस्फोटकों के दुरुपयोग और गबन पर अंकुश लगाने में बहुत मदद मिलेगी और जवाबदेही भी आएगी । ब्लास्टर्स के नाम के साथ, विस्फोटकों के प्रयोग कर रही साइटों को भी डेटाबेस में लिया जाएगा ।
5. विस्फोटक नियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए अर्थात् निलंबन और निरसन, ईमेल सुविधा को आंतरिक आवेदन के साथ एकीकृत किया गया है । यदि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, प्रणाली संबंधित डीएम और एसपी को ईमेल भेजती है (यदि प्रणाली में ईमेल पते उपलब्ध हैं) ।

6. एसएमपीवी (यू) और पेट्रोलियम नियमों के अंतर्गत, सक्षम व्यक्तियों के लिए भी एक पहल की गई है जिसमें मौजूदा सक्षम व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकृत होकर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। आंतरिक प्रणाली द्वारा उनके क्रेडेंशियल्स की पुष्टि की जाती है और और उसके बाद ही वे इस प्रणाली के माध्यम से अनुज्ञप्ति-प्राप्त परिसर के लिए 'सक्षम थर्ड पार्टी' प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं।

इस पहल से सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रमाणपत्र का जनरेट करना काफी हद तक सुव्यवस्थित हुआ है। जनरेट किए गए प्रमाण पत्र भी आवेदनों की प्रोसेसिंग के समय में संबंधित अनुज्ञप्ति फाइल से लिंक हो जाते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान, पेसो के अधिकारी, सक्षम व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र देख सकते हैं और ऑनलाइन रिकार्ड के साथ उनके हस्ताक्षर सत्यापित भी कर सकते हैं। इस सुविधा से प्रमाणीकरण प्रक्रिया में जालसाजी की गुंजाइश पूरी तरह से समाप्त होगी।

पूर्ण की गई गतिविधियां :

पेसो के सभी कार्यालयों को एक्सप्लोनेट नेटवर्क के अंतर्गत समाहित किया गया है। फॉल-बैक अरेन्जमेन्ट के साथ पाँच अंचल कार्यालयों के लिए 2 एमबीपीएस स्पीड की लिज्ड लाइन अपग्रेड की गई है। उसी प्रकार 18 उप-अंचल कार्यालयों के लिए लीज्ड लाइन की स्पीड 512 केबीपीएस तक बढ़ाई गई हैं।

विभागीय परीक्षण केन्द्र, गोंडखैरी तथा एफआरडीसी, सिवाकासी को भी 512 केबीपीएस लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

सभी विस्फोटक विनिर्माता अपने दैनिक उत्पादन का विवरण दैनिक आधार पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी विनिर्माताओं द्वारा आरई-7 ऑनलाइन प्रस्तुत करने के संबंध में 100% सफलता हासिल की गई है।

एलई-3 (विस्फोटकों का बिक्री के लिए कब्जा और उपयोग हेतु) के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारकों में से 95% से अधिक ने ऑनलाइन आरई-7 (विस्फोटकों की विवरणी) हेतु रजिस्ट्रेशन किया है और वे उनकी तिमाही विवरणी, आरई-7 ऑनलाइन प्रणाली की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं।

जिन अनज्ञप्तिधारकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आरई-7 ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं उन्हें सभी आंतरिक उपयोगकर्ताओं (पेसो अधिकारी) द्वारा ऑनलाइन कारण बताओं (शो कॉज) नोटिस जारी की जा रही है।

विस्फोटकों के ट्रैन्ज़ैक्शन की मॉनिटरिंग को और भी प्रभावी करने के लिए पेसो द्वारा सभी विनिर्माताओं और वितरकों के लिए आरई -12 (विस्फोटकों के बिक्री और परिवहन हेतु) के ऑनलाइन जनरेशन की सुविधा का प्रारंभ किया गया है। सभी विनिर्माता और अधिकांश वितरक आरई-12

ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं । इससे उन्हें उनके बिक्री प्रविष्टियों से संबंधित आरई-7 (त्रैमासिक विवरणी) बनाना सुगम हो गया है ।

आंतरिक कार्यालयों को बेहतर सुविधा देने के लिए और आरई-7 के माध्यम से बल्क में प्राप्त किए जा रहे डेटा को समायोजित करने के लिए इंटरनल स्टोरेज 2 टेरा बाइट तक बढ़ाया गया है । मौजूदा सॉफ्टवेयर के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए SAN स्टोरेज के साथ नये RACK सर्वर उपयोग में लाए गए हैं ।

फॉर्म आरई-12 और फॉर्म आरई-7 के ऑनलाइन जमा करने के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निकट भविष्य में मौजूदा 4 एमबीपीएस के इंटरनेट गेटवे को अपग्रेड करके उसकी डेडीकेटेड प्रवाहक्षमता 10 एमबीपीएस करने की योजना बनाई गई है ।

पेसो द्वारा सेंट्रल सर्वर को उन्नत किया गया है और निर्बाध हाई स्पिड नेटवर्क और डाटा संग्रहण के लिए सर्वर सुविधाओं को सभी आवश्यक सुविधाओं से तैस एक अलग इमारत में स्थानांतरित किया गया है ।

इसके अलावा संगठन के पाँच अंचल कार्यालय और मुख्यालय, नागपुर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की बैठकें-संगोष्ठियाँ-व्याख्यान-
प्रशिक्षण कार्यक्रम- विदेश यात्राएं

बैठकें-

1. दि.04.04.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने एनआईएसजी परियोजना और विस्फोटकों के उपयोगकर्ता शुल्क पर संयुक्त सचिव के साथ हुई बैठक में भाग लिया ।
2. दि.31.05.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन के मामलों पर एसआयपीपी के साथ हुई बैठक में भाग लिया ।
3. दि.24.06.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने अमोनियम नाइट्रेट के आयात और निर्यात के लिए बंदरगाहों की अधिसूचना के संबंध में जहाजरानी मंत्रालय, बंदरगाह स्कंध के संयुक्त सचिव (बंदरगाह) महोदय द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
4. दि. 2.07.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में कैन लाइट (15%) के समावेशन के बारे में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई-दिल्ली के अपर सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
5. दि. 22.07.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया ।
6. दि. 23.08.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने डीआईपीपी के संयुक्त सचिव द्वारा शुल्क संशोधन पर बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
7. दि. 20.09.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली की आतिशबाजी और रसायन मानकों की समिति- सीएचडी -26 की बैठक की अध्यक्षता की ।
8. दि. 04.10.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने "विस्फोटक ट्रेकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम" के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव महोदय (आयपीपी) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित पेट्रोलियम सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लिया ।
9. दि. 10.10.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने विस्फोटकों के ट्रेकिंग और ट्रेसिंग के बारे में एसआयपीपी, नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।

10. दि. 18.10.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने सिवाकासी में संगोष्ठी आयोजन और एफआरडीसी की गतिविधियों की समीक्षा के बारे में राज्यमंत्री द्वारा मदुरई में बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
11. दि. 27.10.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने अनुज्ञप्ति और अदालत के मामलों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, राज्य मंत्री द्वारा यथा निर्देशित, आतिशबाजी विनिर्माताओं के साथ बैठक की ।
12. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दक्षिण जोन, चेन्नई के पास दायर याचिका के संबंध में सचिव (आईपीपी) द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
13. दि. 12.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित डीपीसी बैठक में भाग लिया ।
14. दि. 09.12.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों के साथ एलपीजी रोड टैंकरों के लिए आंतरिक अतिरिक्त प्रवाह वाल्व के कार्यान्वयन और संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया ।
15. दि. 11.12.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने एलपीजी उपकरण अनुसंधान केंद्र, बंगलौर की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया ।
16. दि. 19.12.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने एएन के आवेदनों के निपटान के विस्तृत विश्लेषण, आतिशबाजी उद्योग के संशोधित रोड मैप और एफआरडीसी के लिए परिचालन योजना पर चर्चा करने के लिए संयुक्त सचिव (एसी) द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
17. दि. 01.03.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेन्नई, केस और दि. 06.01.2013 को एविएशन टर्बाइन फ्यूल सप्लाई ऑर्डर, 2011 के संशोधन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।
18. दि. 05.02.2013 से 07.02.2013 के दौरान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने भारतीय मानक ब्यूरो की गैस सिलेंडर अनुभागीय समिति-एमई 16 की जयपुर में आयोजित वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की ।

संगोष्ठियां-

1. दि. 07.06.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने बुक सप्लाय ब्यूरो द्वारा दाबपात्रों के एएसएमइ कोड के 2013 संस्करण में संशोधन शामिल करने के बारे में चर्चा करने के लिए "एएसएमइ बीपीवी कोड के 2013 संस्करण में परिवर्तन" पर मुंबई में आयोजित सेमिनार/ कार्यशाला में भाग लिया ।
2. दि. 31.08.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने अखिल भारतीय औद्योगिक गैस मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित "गैस सिलेंडरों की सुरक्षा विषय पर कार्यशाला के तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की ।
3. दि. 27.09.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने जिला और पुलिस अधिकारियों और हितधारकों के साथ उप- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, हैदराबाद द्वारा आयोजित अमोनियम नाइट्रेट जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया ।
4. दि. 11.11.2013 से 13.11.2013 के दौरान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने "प्रौद्योगिकी, क्षमता विकास, खतरनाक उद्योगों, बंदरगाहों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस का भंडारण" पर एनडीएमए द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया और "सिवाकासी में आतिशबाजी की जोखिम और अतिसंवेदनशीलता" विषय पर प्रस्तुति दी ।
5. दि.18.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने बीएआरसी और एपीसहएनडीटी द्वारा आयोजित नॉन डिस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग पर एशिया प्रशांत सम्मेलन में भाग लिया और एनडीटी पर मुख्य भाषण दिया ।
6. दि.23.24.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने आतिशबाजी उद्योग द्वारा आयोजित *पररोटेक्निक2013* संगोष्ठी, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री द्वारा किया गया, में भाग लिया ।
7. दि.25.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने उच्च ऊर्जा सामग्री प्रयोगशाला, पुणे द्वारा आयोजित *एक्सप्लोजिज ऑफ एनवायर्मेंटल एण्ड ऑक्पेशनल सेफ्टी ऑफ हाय एनर्जी मटेरियल* कार्यशाला में भाग लिया
8. दि.27.11.2013 और दि. 28.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने एएनजीवीए 2013 सम्मेलन और प्रदर्शनी "नेचुरल गैस फॉर वेहिकल्स- दी नेक्स्ट जेनरेशन" में भाग लिया और दि. 28.11.2013 के सत्र की अध्यक्षता की ।

9. दि.30.11.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मंगलौर द्वारा आयोजित "ऑनलाइन एक्स्प्लोजिक्स रिटर्न सिस्टम(ईआरएस) एण्ड ट्रेकिंग ऑफ एक्स्प्लोजिक्स " पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया ।
10. दि.21.01.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा द्वारा आयोजित सीएनजी पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया । उन्होंने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और मुख्य भाषण दिया ।
11. दि.14.02.2014 और दि. 15.02.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने भारत की उच्च ऊर्जा सामग्री सोसायटी, तिरुवनंतपुरम अध्याय, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा आयोजित नौवें अंतर्राष्ट्रीय उच्च ऊर्जा सामग्री सम्मेलन और प्रदर्श में भाग लिया ।

व्याख्यान -

1. दि.06.04.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने मेपको श्लैक इंजीनियरिंग कॉलेज, सिवाकासी द्वारा आयोजित श्रमिकों, फोरमैन और पर्यवेक्षकों के लिए 'आतिशबाजी सुरक्षा' पर व्याख्यान दिया ।
2. दि.12.04.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने भुवनेश्वर में उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भुवनेश्वर और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा आयोजित *अमोनियम नाइट्रेट कार्यान्वयन कार्यक्रम* में व्याख्यान दिया ।
3. दि.19.07.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने *विस्फोटक अधिनियम और नियम और विस्फोटक भंडार से संबंधित सुरक्षा* पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में व्याख्यान दिया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम -

1. दि.12.09.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने सिवाकासी कार्यालय और आतिशबाजी उद्योग द्वारा आयोजित सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता की ।
2. दि.25.02.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने केरल के सभी हितधारकों के विस्फोटक उपयोगकर्ताओं के लिए उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एर्नाकुलम द्वारा आयोजित अमोनियम नाइट्रेट नियम और ऑनलाइन एक्स्प्लोजिक्स रिटर्न सिस्टम पर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण दिया और समापन परिचर्चा में भी भाग लिया ।

निरीक्षण-

1. दि.15.09.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने कोचीन पोर्ट के माध्यम से विस्फोटक कार्गो के निर्यात करने के प्रस्ताव के संबंध में कोचीन पोर्ट क्यू -2, क्यू 7 के बंदरगाह की सुविधाओं और नए कंटेनर की सुविधाओं का निरीक्षण किया ।
2. दि.22.01.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने मथुरा रिफाइनरी का निरीक्षण किया ।
3. दि.18.07.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने विस्फोटक और प्रोपेलेंट भंडारण की सुविधाओं का निरीक्षण किया और एनएचएन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर विचार-विमर्श किया ।
4. दि.27.01.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने आतिशबाजी उद्योग द्वारा प्रस्तावित स्वचालन मशीनरी के परीक्षणों का निरीक्षण किया ।
5. दि.29-30.01.2014 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक महोदय ने त्रिची में नए उच्च विस्फोटक कारखानों का निरीक्षण किया ।

संगठन के अन्य अधिकारियों की बैठकें -व्याख्यान- सेमिनार - प्रशिक्षण कार्यक्रम
दक्षिण अंचल

बैठकें:

1. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने डा. ए.पी. सिंह , उप-मु.वि.नि, सिवाकासी और डा. एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलूर के साथ सिवाकासी में मेसर्स ओम शक्ति फायर्वक्स दुर्घटना के सिलसिले में समिति की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित जांच समिति की बैठक में भाग लिया ।
2. श्री एन.टी. साहू, उप-मु.वि.नि., चेन्नई (का/प्र) ने श्री के. सुंदरेसन, वि.नि. सहित मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के साथ निदेशक, डीआईपीपी, नई दिल्ली की उपस्थिति में अक्टूबर , 2013 माह के दौरान तोंडियार्पेट, कोरूक्कूपेट और एन्नोर बंदरगाह क्षेत्र के तेल कंपनी टर्मिनल को निरीक्षण भेंट दी । तोंडियार्पेट, कोरूक्कूपेट से एन्नोर बंदरगाह क्षेत्र में टर्मिनल स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित बैठक में आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और सीपीसीएल के अधिकारियों ने भाग लिया ।
3. श्री बी. रेंगासमी, उप-मु.वि.नि., मंगलौर द्वारा दि. 12.04.2013 को आर. जी. नांजप्पा, उप.निदेशक-कारखाना, कर्नाटक सरकार, एचपीसीएल और एमएलआयएफ के मुख्य स्थापना अधिकारी के साथ एलपीजी रोड टैंकर के पलटने और रसोई गैस के रिसाव संबंधी दुर्घटनाओं पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की ।
4. श्री बी. रेंगासमी, उप-मु.वि.नि ने दि. 27.04.2013 को श्री पी.वी.भट, विभागाध्यक्ष सामग्री समूह, श्री नारायण राजू, विभागाध्यक्ष यांत्रिक रखरखाव, श्री उमेश, विभागाध्यक्ष, विद्युत रखरखाव और मे. बीईएमएल के अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम हेतु बैठक आयोजित की ।
5. डॉ एस कमल, सं-मु.वि.नि., नागपुर, डॉ एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर और डॉ आर.के.एस.चौहान, उप-वि.नि.,मंगलौर द्वारा दि. 02.12.2013 को आयएसपीआरएल के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया गया ।
6. डॉ एस कमल, सं-मु.वि.नि., नागपुर, डॉ एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर और डॉ आर.के.एस.चौहान, उप-वि.नि.,मंगलौर द्वारा एमआरपीएल के फेज़ -I, II और एनएमपीटी जेट्टी सं.13 और 18 को निरीक्षण भेंट देने के दौरान दि. 03.12.2013 को एमआरपीएल,

एनएमपीटी, एचपीसीएल और एमएलआयएफ के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया गया ।

7. डॉ एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर ने दि. 29.01.2014 को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय, मंगलौर के कोर्ट हॉल में दक्षिण कन्नड़ जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में भाग लिया ।
8. डॉ आर.के.एस.चौहान, उप-वि.नि.,मंगलौर द्वारा दि. 26.02.2014 को केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त के मंगलौर कार्यालय में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया।

व्याख्यान -

1. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 6 और 7 अप्रैल 2013 को एमडपीसीओ श्लेन्क इंजिनियरिंग कॉलेज, सिवाकासी में "आतिशबाजी उद्योगों में सुरक्षा" विषय पर व्याख्यान दिया ।
2. श्री सी. शन्मुगम, वि.नि. ने "अमोनियम नाइट्रेट नियम" पर दि.06.09.2014 को कुड्डालोर में और दि. 12.09.2014 को इरोड में कलेक्टर के कार्यालय में व्याख्यान दिया ।
3. श्री के. सुंदरेसन, वि.नि. ने "विस्फोटक नियम 2008" पर दि.03.12.2014 को नायगी अभियांत्रिकी कॉलेज में आतिशबाजी कारखाने के पर्यवेक्षकों के लिए व्याख्यान दिया ।
4. श्री एन.टी. साहू, उप-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 20.12.2013 को मे. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई द्वारा आयोजित 268वे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में अतिथि व्याख्यान दिया।
5. श्री के. सुंदरेसन, वि.नि. ने "विस्फोटक नियम 2008" पर दि.10.01.2014 को ओएनजीसी मुख्यालय, एगमोर, चेन्नई में व्याख्यान दिया ।
6. डॉ एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर ने दि. 27.09.2013 को एनआईटीके, सूरतकल द्वारा "एक्सप्लोजिक्स एण्ड ब्लास्टिंग टेक्निक्स" पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया ।
7. श्री वी. के. मिश्रा, उप-मुविनि ने दि. 28.03.2014 को "गैस सिलेंडर भरण और हस्तांतरण के दौरान सुरक्षा" विषय पर मे. आईनॉक्स द्वारा आयोजित कार्यशाला में व्याख्यान दिया ।
8. श्री वी. के. मिश्रा, उप-मुविनि ने दि. 09.05.2014 को आईओसी डिपो मैनेजर को हैदराबाद में "पेट्रोलियम नियम" पर एक व्याख्यान दिया ।

9. श्री वी. के. मिश्रा, उप-मुविनि ने दि. 07.06.2014 को "इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लान्ट इंजीनियर्स" हैदराबाद में इंजीनियर्स को व्याख्यान दिया ।

कार्यशालाएं / सेमिनार / जागरूकता कार्यक्रम

1. दि. 09.04.2014 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तमिलनाडु की राजस्व और पुलिस अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
2. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 12.04.2014 को "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन" विषय पर उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, हैदराबाद कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
3. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 13.04.2014 को " एलपीजी गोदाम, पटाखा दुकान और स्टोर हाऊजेस के डिजाइन और सुरक्षा सुविधाएं" विषय पर उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, हैदराबाद कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
4. श्री सी. शन्मुगम, वि.नि. ने विस्फोटक अनुज्ञप्ति धारकों और अधिकारियों के साथ दि. 21.05.2013 को "कंट्रोल और विस्फोटक का प्रयोग" विषय पर जिला कलेक्टर, करूर (तमिलनाडु) द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
5. श्री के. सुंदरेसन, वि.नि. ने दि.05.06.2014 को एचपीसीएल / बीपीसीएल / आईओसीएल, तॉडियार्पेट और कोरक्कूपेट, चेन्नई में "रासायनिक आपदा" पर जिला कलेक्टर चेन्नई द्वारा आयोजित मॉक एक्सरसाइज में भाग लिया।
6. श्री के. सुंदरेसन, वि.नि. ने दि.10.06.2014 को कोयंबटूर कलेक्ट्रेट में पुलिस अधिकारियों / राजस्व अधिकारियों के लिए "अमोनियम नाइट्रेट नियम" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
7. श्री सी. शन्मुगम, वि.नि. और श्री उज्वल भांगे, उप-वि.नि. ने दि. 12.06.2013 को पुलिस महानिदेशक सीबीसीआयडी, चेन्नई द्वारा आयोजित सीबीसीआयडी राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2013 एंटी सेबोटेज चेक प्रतियोगिता में भाग लिया ।
8. श्री सी. शन्मुगम, वि.नि. ने दि. 13.06.2013 को पुलिस महानिरीक्षक, तमिलनाडु पुलिस अकादमी, वांदालूर, चेन्नई द्वारा आयोजित "हथियारों और विस्फोटकों के मामले के संबंध में जांच" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कैम्पस कोर्स में भाग लिया।
9. श्री सी. शन्मुगम, वि.नि. ने दि. 25.07.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियम" पर त्रिची कलेक्ट्रेट में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

10. श्री के. सुंदरेसन, वि.नि. दि.02.08.2013 को मे. हुंदई मोटर्स लिमिटेड, इरुंगरूकोट्टई, कांचीपुरम जिले के प्रोपेन भंडारण यार्ड में आयोजित एक मॉक ड्रिल में उपस्थित हुए ।
11. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि. ने 22 और 23 नवंबर, 2013 को उपमुविनि, सिवाकासी द्वारा सिवाकासी में आयोजित "पायरोटक 2013" पर दूसरे राष्ट्रीय आतिबाजी सम्मेलन में भाग लिया ।
12. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि. ने 30.11.2013 को उपमुविनि, मंगलौर द्वारा आयोजित "ऑनलाइन एकस्प्लोजिक्स रिटर्न सिस्टम (इआरएस)" कार्यशाला में भाग लिया।
13. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि./प्रभारी और श्री के. सुंदरेसन, वि.नि. ने दि. 24.01.2014 को सेफ्टी इंजिनियर्स एसोसिएशन (एसइए इंडिया), चेन्नई द्वारा आयोजित "सेफ्टी प्रोफेशनल्स मीट इंटरैक्ट विथ रेगुलेटरी अथोरिटीज" पर एक दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया ।
14. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि./प्रभारी ने दि. 30.01.2014 को चेन्नई में पेसो और तमिलनाडु विस्फोटक डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित "ऑनलाइन विस्फोटक रिटर्न सिस्टम" पर कार्यशाला में भाग लिया।
15. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि और श्री उज्वल भांगे, उप-वि.नि. ने अध्यक्ष, सेंटर फॉर सेफ्टी कमिटी, डीजीएम, टीएफ/वीएसटी, श्रीहरिकोटा द्वारा शार केंद्र, श्रीहरिकोटा में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कार्यक्रम में भाग लिया।
16. श्री के सुंदरेसन, उप-मुविनि, ने दि. 06.03.2014 को मे. प्रॅंजेयर इंडिया लिमिटेड, श्रीपेरंबदुर में सुरक्षा सप्ताह समारोह के दौरान सामान्य सुरक्षा के बारे में भाषण दिया ।
17. डा. आर.के.एस.चौहान, उप-वि.नि, मंगलौर ने दि. 17.04.2014 को सीसी सं. 372/09 में गवाही देने हेतु जेएमएफसी, कांजीरूपल्ली, जिला-कोट्टयम के माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए ।
18. डा. आर.के.एस.चौहान, उप-वि.नि, मंगलौर ने दि. 16.05.2014 को सीसी सं. 185/2010 में गवाही देने हेतु जेएमएफसी, कायाकुलम, जिला-इडुक्कि, केरल के माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए ।
19. डा. आर.के.एस.चौहान, उप-वि.नि, मंगलौर ने दि. 28.05.2014 को मंगलौर में कॉरपोरेशन बैंक के मुख्यालय में न.रा.का.स. की 54वी अर्धवार्षिक राजभाषा बैठक में भाग लिया।
20. पेसो, चेन्नई द्वारा एलपीजी वितरकों और आतिशबाजी विक्रेताओं के साथ सहयोग में दि. 13.04.2013 को "पटाखे की आतिशबाजी दूकान और रसोई गैस भंडारण शेड के निर्माण के लिए सांविधिक आवश्यकताओं 'पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

21. श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि., हैदराबाद ने दि. 31.08.2013 को एआयआयजीएमए द्वारा हैदराबाद में 'गैस सिलेंडरों नियम" विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
22. पेसो, हैदराबाद द्वारा सीमेंट उद्योग के साथ दि. 27.09.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में राज्य सरकार और सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
23. डा. एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर द्वारा दि. 07.08.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन" पर पुलिस आयुक्त मैसूर के कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में मैसूर, हसन, मंड्या, चामराजनगर और कोआडु जिलों के जिला प्राधिकरी के प्रतिनिधियों, ने भाग लिया।
24. डा. एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर द्वारा दि. 17.08.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन" पर उप-आयुक्त मंगलौर के कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, शिमोगा और चिक्कमगलुर जिलों के जिला प्राधिकरियों के प्रतिनिधियों, ने भाग लिया।
25. डा. एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर द्वारा दि. 12.09.2013 को मे. एचपीसीएल एलपीजी गैस आयात सुविधा द्वारा बाला गांव मंगलोर में आयोजित मॉक ड्रिल में भाग लिया।
26. डा. एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर द्वारा दि. 17.08.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन" पर उप-आयुक्त बेल्लारी के कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में बेल्लारी, कोप्पल, चित्रदुर्गा और दावणगेरे जिलों के जिला प्राधिकरियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
27. श्री बी रेंगासामी, उप-मु.वि.नि., मंगलौर ने मे. आयओसीएल, परांबूर, मंगलौर के पीओएल टर्मिनल में ऑन-साइट मॉक ड्रिल में भाग लिया।
28. डा. एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर एवं डॉ आर.के.एस.चौहान, उप-वि.नि., मंगलौर ने 27 और 28 सितंबर, 2013 को "विस्फोटक और ब्लास्टिंग तकनीक" विषय पर एनआईटीके सूरतकल, मंगलौर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।
29. डॉ आर.के.एस.चौहान, उप-वि.नि., मंगलौर ने दि. 08.10.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन" पर उप-आयुक्त गुलबर्ग के कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, बीजापुर और रायचूर जिलों के जिला प्राधिकरियों के प्रतिनिधियों, ने भाग लिया।
30. डॉ आर.के.एस.चौहान, उप-वि.नि., मंगलौर ने दि. 10.10.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन" पर उप-आयुक्त बेलगाँव के कार्यालय में एक कार्यशाला का

आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में बेलगाँव, धारवाड़, गडग, हावेरी और बागलकोट जिलों के जिला प्राधिकरियों के प्रतिनिधियों, ने भाग लिया।

31. डा. एस.एम. मन्नन, वि.नि., मंगलौर द्वारा दि. 25.11.2013 और 26.11.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन" पर बंगलौर शहर के पुलिस अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
32. उप-मु.वि.नि., मंगलौर और कर्नाटक राज्य विस्फोटक व्यापारी और उपयोगकर्ता एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से दि. 30.11.2013 को बंगलौर में "ऑन लाइन एक्स्प्लोजिक्स रिटर्न सिस्टम (इआरएस)" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई ।

पश्चिम अंचल, मुंबई

बैठकें:

1. श्री ए.के. यादव, वि.नि., मुंबई ने दि. 16.04.2013 को बीआईएस की सीएचडी 8 समिति की 11वीं बैठक में भाग लिया ।
2. श्री आर.के. मैदोला, उप-मु.वि.नि., मुंबई ने दि. 15.06.2013 को पाइप लाइन के सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर जिला मजिस्ट्रेट, रायगढ़ के साथ बैठक में भाग लिया ।
3. सं.मु.वि.नि., मुंबई द्वारा दि. 12.07.2013 को उपमुविनि, बड़ौदा, उपमुविनि, विभागीय परीक्षण केंद्र और वि.नि., वर्धा के साथ प्रशासन, वित्त और निरीक्षण, आदि से संबंधित मामलों पर आधारित तिमाही बैठक का आयोजन किया गया ।
4. श्रीमती ए.यू. खालवडेकर, वि.नि., मुंबई ने दि. 31.08.2013 को प्रधान सचिव- परिवहन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा परिवहन आयुक्त और संयुक्त परिवहन आयुक्त के साथ मुंबई में आयोजित सीएनजी ऑन-बोर्ड सिलेंडर्स के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
5. सं-मु.वि.नि., मुंबई कार्यालय में दि. 10.09.2013 को सीएनजी सिलेंडर्स के परीक्षण के बारे में सीएनजी ऑन-बोर्ड सिलेंडर्स के परीक्षण के लिए परीक्षण स्टेशन के मालिकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई ।
6. श्री एस.डी. मिश्रा, उप-वि.नि., बड़ौदा ने दि. 21.11.2013 को गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गांधीनगर में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
7. डॉ. डी.सी. पांडे, वि.नि., बड़ौदा ने दि. 22.11.2013 को भावनगर, गुजरात में गुजरात मेरीटाइम बोर्ड की बैठक में भाग लिया ।

8. श्री एस.के. शुक्ला, उप-मु.वि.नि., मुंबई ने दि. 11.03.2014 को अपर सचिव (गृह), महाराष्ट्र की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार द्वारा परिसंकटमय और ज्वलनशील पदार्थ के परिवहन -कार्य योजना हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया ।

व्याख्यान :

1. श्री जी.एम. रेड्डी, सं-मु.वि.नि., मुंबई ने 16-18 अप्रैल, 2013 को गोवा में "रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन (सीआयडीएम)" पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया और 'परिसंकटमय माल के सुरक्षित परिवहन में पेसो की भूमिका' पर एक व्याख्यान दिया ।
2. श्री एस.डी. मिश्रा, उप-वि.नि., बड़ौदा ने दि. 25.04.2013 को *विस्फोटकों के बलास्टिंग में सुरक्षा हेतु सावधानियां* विषय पर व्याख्यान दिया ।
3. श्री जी.एम. रेड्डी, सं-मु.वि.नि., मुंबई ने दि. 01.05.2013 को उरान बॉटलिंग प्लांट, रायगढ़ में बीपीसीएल के अधिकारियों के लिए "पेट्रोलियम नियम 2002, एसएमपीवी(यू) नियम, 2004 और गैस सिलेंडर्स नियम, 1981 पर व्याख्यान दिया ।
4. डॉ डी.सी. पांडे, वि.नि., बड़ौदा ने दि. 17.05.2013 को "विस्फोटक के सुरक्षित हैंडलिंग" पर ओएनजीसी के अधिकारियों के लिए वडोदरा में व्याख्यान दिया ।
5. श्री वी. बी. बोरगाँवकर, उप-मु.वि.नि., गोंडखैरी, नागपुर ने विभागीय परीक्षण केन्द्र में दि. 18.05.2013 को तीन विदेशी छात्रों सहित अधिकारियों को "विस्फोटक अधिनियम और नियम" पर व्याख्यान दिया और विस्फोटकों के परीक्षण पर उन्हें प्रशिक्षण दिया ।
6. श्री जी.एम. रेड्डी, सं-मु.वि.नि., मुंबई ने दि. 20.05.2013 को मुंबई कार्यालय द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में एलए/एलएस विनिर्माण प्रक्रिया पर एक व्याख्यान दिया ।
7. श्रीमती ए.यू खालवडेकर, वि.नि., मुंबई ने दि. 23.10.2013 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा उनके इंजीनियरों के लिए आयोजित "एसएमपीवी नियम" पर व्याख्यान दिया ।
8. श्री एस.के. शुक्ला, उप-मु.वि.नि., मुंबई ने दि. 05.03.2014 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित *एसएमपीवी नियम, 1981 के अंतर्गत प्रेशर वेसल्स के परीक्षण* पर व्याख्यान दिया ।

सेमिनार/ कार्यशालाएं

1. श्री एस.डी. मिश्रा, उप-वि.नि., बड़ौदा ने दि. 29.05.2013 को अहमदाबाद में परिवहन आयुक्त, गुजरात राज्य द्वारा आयोजित सीएनजी प्रतिष्ठानों, प्रयोग और आवधिक परीक्षण में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रूपरेखा बनाने के बारे में आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया ।
2. श्री जी.एम. रेड्डी, सं-मु.वि.नि., मुंबई ने दि. 29.06.2013 को महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त के साथ मुंबई में सीएनजी पर आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया ।
3. उप-वि.नि., बड़ौदा वडोदरा कार्यालय में दि. 05.08.2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया।
4. श्री राकेश कुमार, क.श्रे.लि. का.सं.मु.वि.नि. ने दि. 12.08.2013 को भारतीय कापस निगम, बेलापुर में ऑनलाइन हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।
5. श्री जी.एम. रेड्डी, सं-मु.वि.नि., मुंबई ने डॉ. संजना शर्मा, उप-वि.नि., बड़ौदा के साथ दि. 23.08.2013 को उच्च विस्फोटकों के विनिर्माण में सुरक्षा विषय पर नागपुर में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया।
6. सं-मु.वि.नि., मुंबई कार्यालय में दि. 27.08.2013 को क्लोरीन के सुरक्षित हैंडलिंग विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । श्री पी.सी. सराफ, सेंचुरी रेयॉन के पूर्व कर्मचारी कल्याण एक व्याख्यान दिया ।
7. मुंबई कार्यालय के श्री बी. गौतम, आशुलिपिक-॥ ने दि. 04.09.2013 को कोंकण रेलवे निगम द्वारा आयोजित हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता में भाग लिया।
8. श्री आर.के. मेंदोला, उप-मु.वि.नि., मुंबई, श्री अब्दुल मुतल्लिब, विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई और श्री दीपक कुमार, उप-विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई द्वारा एशिया पॅसिफिक एनडीटी सम्मेलन में भाग लिया। श्री टी.आर. थॉमस, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थे।
9. संस्थापक - विश्व सीएसआर दिवस तथा विश्व सीएसआर कांग्रेस और परियोजना निदेशक एशिया ऑयल एंड गैस कांग्रेस द्वारा पेसो को जारी "बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑयल एंड गैस, एलपीजी" पुरस्कार मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में, श्री संजॉय सेन, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई द्वारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रहण किया गया ।

उत्तरी अंचल

निरीक्षण

1. श्री टी. आर. तोमस, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा दि. 03.03.2014 को उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर कार्यालय का निरीक्षण/ दौरा किया गया ।

बैठकें:

1. श्री आर. सी.कौल, सं-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 03.04.2013 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में सचिव, डीआईपीपी, के साथ बैठक में भाग लिया ।
2. श्री आर.सी.कौल, सं-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 09.04.2013 को नोएडा में ओआईएसडी बैठक में भाग लिया ।
3. श्री आर.सी.कौल, सं-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 25.04.2013 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, के साथ बैठक में भाग लिया ।
4. श्री अजय सिंह, वि.नि., चंडीगढ़ ने दि. 01.05.2013 को जिला कलेक्टर, चंडीगढ़ के साथ अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 विषय पर उनके कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
5. श्री आर.सी.कौल, सं-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 09.05.2013 को नोएडा में ओआईएसडी बैठक में भाग लिया ।
6. श्री आर.सी.कौल, सं-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 21.06.2013 को प्रशासनिक मामलो के बारे में नागपुर में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया ।
7. श्री पी. कुमार, उप-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 05.07.2013 को प्रशासनिक मामलो के बारे में नागपुर में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया ।
8. डा. अनूप कुमार, उप-मु.वि.नि., जयपुर और श्री उमेश प्रसाद, क.श्रे.लि. ने दि. 19.08.2013 को प्रधान महालेखाकार (लेखा और हाक) राजस्थान, जयपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक में भाग लिया ।
9. डा. अनूप कुमार, उप-मु.वि.नि., (प्रभारी), श्री विनोद कुमार, उप-मु.वि.नि. और डा. संजय कुमार सिंह, उप-मु.वि. नि., फरीदाबाद ने दि. 03.09.2013 और 09.09.2013 को संसदीय राजभाषा समिति नई दिल्ली के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के साथ बैठक में भाग लिया ।

10. श्री पी. कुमार, उप-मु.वि.नि., चंडीगढ़ ने दि. 18.10.2013 को महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों के बारे में फरीदाबाद में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
11. डा. आर. रावत, वि.नि., जयपुर और श्री उमेश प्रसाद, क.श्रे.लि. ने प्रधान महालेखाकार (लेखा और हाक) राजस्थान, जयपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक में भाग लिया ।
12. डा. आर. रावत, वि.नि., जयपुर ने दि. 13.11.2013 को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
13. डा. अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., (प्रभारी), फरीदाबाद ने दि. 22.11.2013 को श्री करमबीर सिंह, आशुलिपिक-1 के साथ एनएचपीसी लि., फरीदाबाद में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की हिन्दी बैठक में भाग लिया ।
14. डा. अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., (प्रभारी), फरीदाबाद ने दि. 30.12.2013 को तिमारपुर, नई दिल्ली में "अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा (CFEES) के लिए केंद्र में स्टेक के भंडारण पेनल" की बैठक में भाग लिया ।
15. डा. अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., (प्रभारी), फरीदाबाद ने दि. 31.01.2014 को श्री आर. एस. मौर्य, आशुलिपिक-1 के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
16. डॉ संजय कुमार सिंह, उप-वि.नि., फरीदाबाद ने पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद के साथ अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के यथाशीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित एक बैठक में भाग लिया ।
17. डा. आर. रावत, वि.नि., जयपुर ने दि. 18.02.2014 को जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर में आयोजित बैठक में भाग लिया
18. डा. आर. रावत, वि.नि., जयपुर ने दि. 20.03.2014 को विस्फोटक नियम, 2008 एवं अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 को पुलिस अधीक्षक, दौसा कार्यालय की बैठक में भाग लिया ।
19. डा. अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 26.03.2014 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई ब्यूरो के केमिकल डिवीजन परिषद समिति (सीएचडीसी) की बैठक में भाग लिया ।
20. श्री पी. कुमार, उप-मु.वि.नि., चंडीगढ़ ने दि. 12.04.2014 को महत्वपूर्ण कार्यालयीन मामलों के बारे में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

व्याख्यान:

1. उप-मु.वि.नि., जयपुर कार्यालय के अधिकारियों ने दि. 05.04.2013, 26.04.2013, 10.05.2013 और 21.06.2013 को उप-मु.वि.नि., जयपुर कार्यालय में अमोनियम नाइट्रेट नियम पर जिला प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के लिए व्याख्यान दिया ।
2. श्री पी. कुमार, उप-मु.वि.नि., चंडीगढ़ और डा. एस.के. सिंह, उप-वि.नि., चंडीगढ़ ने अमोनियम नाइट्रेट नियम पर जिला प्राधिकारियों के लिए दि. 04.05.2013 को नया नंगल में और दि. 17.05.2013 को साई भवन, शिमला में व्याख्यान दिया ।
3. डॉ संजय कुमार सिंह, उप-वि.नि., फरीदाबाद ने मे. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआईपीएम गुडगांव में देश के विमानन ईंधन स्टेशनों से क्षेत्र के अधिकारियों के लिए तेल उद्योग में लागू विस्फोटक नियमों पर व्याख्यान दिया ।
4. डा. अनूप कुमार, सं-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 29.01.2014 को आयुध निदेशालय और सुरक्षा उपकरण, वायु सेना मुख्यालय, लोधी रोड, नई दिल्ली में भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए "पेसो द्वारा प्रशासित अधिनियम, नियम और भूमिका " पर व्याख्यान दिया ।
5. श्री एस. जी. कदम, वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 25.03.2014 को क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में विस्फोटक अधिनियम, 1884, गैस सिलेंडर नियम 2004, कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 एवं एसएमपीवी (यू) नियम 1981 " पर व्याख्यान दिया ।
6. डा. आर. बजाज, वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 26.03.2014 को क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में पेट्रोलियम अधिनियम 1934 / पेट्रोलियम नियम 2002 " पर व्याख्यान दिया ।
7. श्री आर.सी.कौल, सं-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 29.05.2013 को परिवहन आयुक्त और सीएनजी हितधारकों द्वारा अहमदाबाद में आयोजित "सीएनजी अधिष्ठान, उपयोग और आवधिक परीक्षण में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फ्रेमवर्क" शीर्षक संगोष्ठी में सीएनजी स्टेशन और सिलेंडरों पर एक व्याख्यान दिया ।

कार्यशालाएं /संगोष्ठियां-

1. उप-मु.वि.नि., चंडीगढ़ कार्यालय में दि. 05.04.2013, 18.04.2013, 28.05.2013 और 11.06.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियमों के प्रवर्तन" पर कार्यशाला आयोजित की गई ।
2. श्री अजय सिंह, वि.नि., चंडीगढ़ द्वारा दि. 15.06.2013 को "एफएस डिपो में सुरक्षा पहलुओं " विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया ।

3. श्री अजय सिंह, वि.नि., चंडीगढ़ द्वारा एनआयटीटीआय, चंडीगढ़ में त्रैमासिक और वार्षिक हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की ऑन लाइन प्रस्तुत करने संबंधी आयोजित कार्यशाला में भाग लिया ।
4. उप-मु.वि.नि., चंडीगढ़ द्वारा दि. 13.09.2013 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
5. उप-मु.वि.नि., जयपुर कार्यालय में आयोजित दि. 05.04.2013, 26.04.2013, 10.05.2013 और 21.06.2013 को "अमोनियम नाइट्रेट नियमों" पर कार्यशाला आयोजित की गई ।

मध्यांचल

बैठकें -

1. कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा में दि. 31.05.2013 और 01.06.2013 को त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मध्यांचल के सभी उपांचल प्रमुखों ने भाग लिया था ।
2. सार्वजनिक उपक्रमों तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ गोरखपुर में दि. 05.07.2013 को आयोजित समन्वय बैठक में श्री कैलाश कुमार, सं.मु.वि.नि., आगरा द्वारा अध्यक्षता कर सभा को संबोधित किया गया ।
3. आईओसीएल के संभागीय कार्यालय में दि. 30.09.2013 को फार्म XV अनुज्ञप्ति धारकों के साथ लखनऊ(उत्तर प्रदेश) में आयोजित समन्वय बैठक में श्री कैलाश कुमार, सं.मु.वि.नि., आगरा ने अध्यक्षता की ।
4. कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा में दि. 13.09.2013 और 14.09.2013 को त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मध्यांचल के सभी उपांचल प्रमुखों ने भाग लिया था ।
5. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद कार्यालय के राजभाषा संसदीय उप-समितीय निरीक्षण के सिलसिले में मु.वि.नि. महोदय के साथ दि. 26.09.2013 को सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया ।
6. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद कार्यालय के राजभाषा संसदीय उप-समितीय निरीक्षण के सिलसिले में मु.वि.नि. महोदय के साथ दि. 26.09.2013 को दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

7. आईओसीएल आगरा द्वारा दि. 08.10.2013 को आयोजित समन्वय बैठक में कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा के सभी अधिकारियों ने भाग लिया ।

कार्यशालाएं /संगोष्ठियां-

1. अमोनियम नाइट्रेट नियमों के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दि. 15.06.2013 को महोबा (उत्तर प्रदेश) में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी । इस कार्यशाला में डॉ ए.के. यादव, उप-मु.वि.नि. और श्री एस.के. भोले, उप-वि.नि. ने समन्वय कर कार्यशाला में भाग लिया।
2. सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय में दि. 26.06.2013 को "आवेदनों की ऑनलाइन सबमिशन 'पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी । इस कार्यशाला में मध्यांचल में सक्रिय रिलायंस और एस्सार ऑयल कंपनियों के तकनीकी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
3. "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012"पर दि. 28.06.2013 को वि.नि. रायपुर कार्यालय ने जिला जांजगीर, चंपा में हितधारकों के लिए उद्योग के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया ।
4. उप-मु.वि.नि., भोपाल कार्यालय द्वारा दि. 04.07.2013 को जिला सतना में सूचना का प्रचार-प्रसार और अमोनियम नाइट्रेट नियम के बारे में जिला प्रशासन को अद्यतन करने के बारे में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
5. वि.नि., रायपुर कार्यालय द्वारा दि. 07.07.2013 को पुलिस अधिकारियों के लिए "अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन" विषय पर पुलिस मुख्यालय, रायपुर में कार्यशाला आयोजित की गई ।
6. श्री एम. के. झाला, उप-मु.वि.नि. ने दि. 17.07.2013 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारा पेट्रोलियम डिपो, बाकानिया भौरी, भोपाल में आयोजित मॉक ड्रिल में भाग लिया ।
7. कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा में दि. 26.07.2013 और 27.07.2013 को क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था जिसमें आगरा कार्यालय और मध्यांचल के अधीनस्थ उप-अंचल कार्यालय के सभी अधिकारियों ने भाग लिया ।
8. उप-वि.नि., रायपुर द्वारा दि. 26.07.2013 और 27.07.2013 को आगरा कार्यालय में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया और "एसएमई संयंत्र और गैस भरण संयंत्रों का निरीक्षण" विषय पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी ।

9. श्री ए. के. मेहता, वि.नि., इलाहाबाद ने दि. 26.07.2013 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा कार्यालय में एमएसआयएचसी नियम,1989 विषय पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी ।
10. कार्यालय सं.मु.वि.नि., आगरा में दि. 23.08.2013 को "आवेदनों की ऑनलाइन सबमिशन ' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें मध्यांचल में तेल कंपनियों के सक्रिय तकनीकी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
11. कार्यालय सं.मु.वि.नि., आगरा में दि. 13.09.2013 को "आवेदनों की ऑनलाइन सबमिशन ' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें मध्यांचल में आईओसीएल के सक्रिय अधिकारियों ने भाग लिया।
12. कार्यालय सं.मु.वि.नि., आगरा में दि. 10.09.2013 को "ऑटोमेशन इन रिटेल आउटलेट्स ' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें बीपीसीएल के अधिकारियों ने उपरोक्त विषय पर प्रेजेंटेशन दिया तत्पश्चात उस पर विस्तृत विचार विमर्श किया ।
13. वि.नि., रायपुर द्वारा. दि. 29.10.2013 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर कार्यालय में आयोजित नराकास की अर्धवार्षिक हिन्दी बैठक में भाग लिया।
14. मु.वि.नि. महोदय के निर्देशानुसार श्री एम.के. झाला, उप-मु.वि.नि. और श्री एम. जी. तितरे, वि.नि., रायपुर इन अधिकारियों की टीम ने दि. 11.11.2013 और 12.11.2013 को मे. नवभारत एक्स्प्लोजिक्स कंपनी लि. और नवभारत फ्यूस कंपनी लि., रायपुर के उच्च विस्फोटक विनिर्माण कारखाने का सुरक्षा ऑडिट तथा निरीक्षण किया
15. श्री एम. आय.झेड. अंसारी, वि.नि. द्वारा दि. 28.11.2013 को बीइएल, ललितपुर में और दि. 16-18.12.2013 को गैल, पाटा का सुरक्षा ऑडिट किया गया ।
16. डा. ए. के. यादव, उप-मु.वि.नि., डा. आ. एल. थानुलिंगम, वि.नि. और श्रीमती वी.एस. बारदेव, उप-वि.नि., इन अधिकारियों की टीम द्वारा दि. 18.12.2013 को मे. मथुरा रिफायनरी का सुरक्षा ऑडिट किया गया ।
17. श्री एम. के. पाण्डे, वि.नि. ने दि. 24.12.2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के क्रियान्वयन हेतु बाराबांकी, उ.प्र. के प्राधिकारियों के साथ बातचीत की ।
18. वि.नि., रायपुर द्वारा. दि. 02.01.2013 और 03.01.2013 को वि.नि., आगरा के साथ नवभारत फ्यूस कंपनी लि., उर्ला, अभानपुर का सुरक्षा ऑडिट किया गया ।
19. डॉ ए.पी. सिंह, उप-मु.वि.नि., इलाहाबाद दि. 06.01.2014 को मे. आयओसीएल बॉटलिंग प्लान्ट, झांसी, इलाहाबाद द्वारा आयोजित 'इमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल' में उपस्थित हुए ।

20. वि.नि., रायपुर ने दि.13.09.2013 को सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय में आयोजित राजभाषा बैठक में भाग लिया।
21. वि.नि., रायपुर ने दि. 21.01.2013 को सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय में सीएनजी विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया।
22. श्री एम. के. झाला, उप-वि.नि. ने दि. 21.01.2013 को सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय में “सीएनजी प्रणाली में सुरक्षा प्रबंधन” विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया।
23. डॉ (श्रीमती) आर. आर. गुप्ता, वि.नि. ने दि. 21.01.2013 को होटल मरीना, आगरा में सीएनजी प्रणाली में सुरक्षा प्रबंधन” विषय पर सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया।
24. सं.मु.वि.नि., आगरा की अध्यक्षता में वि.नि., ने पीएसयू तेल कंपनी के साथ भोपाल में आयोजित समन्वय बैठक में भाग लिया तथा दि. 18.02.2013 को उप-मु.वि.नि., भोपाल कार्यालय द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के कार्यान्वयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली" विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया ।
25. कार्यालय द्वारा दि. 24.06.2013, 18.09.2013, 19.12.2013 और 27.03.2014 को आयोजित त्रैमासिक कार्यशालाओं में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद के सदस्य सचिव एवं सहायक निदेशक(राजभाषा) श्री प्रकाश चंद्र मिश्रा द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन एवं विकास विषय पर व्याख्यान दिया गया ।

पूर्वाचल

बैठकें/संगोष्ठियां/व्याख्यान

1. डा. डी.जे. राँय, सं.मु.वि.नि. और श्री के. पी. शर्मा, वि.नि. द्वारा दि. 31.05.2013 और 01.06.2013 को इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स और पीसीआरए द्वारा “रासायनिक पेट्रोकेमिकल और संबद्ध उद्योगों में ऊर्जा प्रबंधन” विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया ।
2. डा. डी.जे. राँय, सं.मु.वि.नि. द्वारा दि. 22.06.2013 को इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स, कोलकाता द्वारा “केमिकल इंडस्ट्री: इन क्वेस्ट फॉर क्लीन टेक्नॉलॉजी एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट” विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया । इस अवसर पर उन्होंने एक सत्र की अध्यक्षता की।

3. श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि. और श्री के. पी. शर्मा, वि.नि. ने दि.17.09.2013 को पीटीएस सभागार, कोलकाता में आयोजित बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि. द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा मानदंडों पर व्याख्यान दिया।
4. श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि. द्वारा मे.आईओसीएल (एलपीजी) कोलकाता के साथ अक्टूबर 2013 में एक बैठक में भाग लिया ।
5. श्री आर. के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि. और श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि. द्वारा मे.आईओसीएल, कोलकाता द्वारा उनके कोलकाता आंचलिक कार्यालय में दि. 28.01.2013 को आयोजित बैठक में भाग लिया । श्री आर. के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि ने बैठक की अध्यक्षता की और रिटेल आउटलेट्स के लिए सुरक्षा के दिशा निर्देशों के बारे में व्याख्यान दिया । श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि. द्वारा पेट्रोलियम नियम 2002 पर व्याख्यान दिया गया ।
6. श्री आर. के. मैन्डोला, सं.मु.वि.नि. ने श्री आर.एन. मीणा, उप-मु.वि.नि., श्री के.पी. शर्मा, वि.नि., श्री एस. कंडासामी, उप-वि.नि. और श्री एस. सरावनन, उप-वि.नि. के साथ दि. 12.01.2014 को राष्ट्रीय युवादिवस के अवसर पर भारतीय पर्यावरण एवं प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया । कोलकाता। सं.मु.वि.नि. ने इस बैठक की अध्यक्षता की और पेसो की सामाजिक जिम्मेदारी और *आज के परिदृश्य में स्वामी विवेकानंद के विचारों की आवश्यकता* पर व्याख्यान दिया।
7. श्री एस. कंडासामी, उप-वि.नि. ने दि. 24.03.2014 को आयुक्त, कोलकाता नगर निगम के साथ पेट्रोलियम नियम, 2002 के प्ररूप XV में अनुज्ञप्ति के बारे में आयोजित एक बैठक में भाग लिया। ।
8. डॉ रूआब अली, वि.नि. ने श्री आर. पी. सिंह, उप-मु.वि.नि., राँची के साथ दि. 05.06.2013 से 08.06.2013 की अवधि के दौरान आयडएल, गोमिया का सुरक्षा ऑडिट/ निरीक्षण किया।
9. डॉ रूआब अली, वि.नि. ने श्री के.पी. शर्मा, वि.नि. के साथ दि. 24.10.2013 को आतिशबाजी की बिक्री के संबंध पुलिस आयुक्त, कोलकाता के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया ।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों /जन-जातियों/अन्य पिछड़ी जातियों/ सेवानिवृत्त तथा शारिरिक रूप से विकलांग-व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

1. अनुसूचित जातियों /जन-जातियों/अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व :

संगठन में उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के श्रेणी के एक संपर्क अधिकारी के अधीन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल कार्य करता है। संगठन के अंचल कार्यालयों में भी इसी प्रकार के सेल कार्यरत है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल न केवल पदों के अनारक्षण (डिरिजर्वेशन) संबंधित प्रस्तावों पर देख-रेख करता है, वरन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणियों के कर्मचारियों के सेवा-मामलों के संबंध में उठने वाली शिकायतों पर भी गौर करता है, तथा उनकी शिकायतों/समस्याओं को दूर करने में उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही भी करता है।

संगठन, समय-समय पर अपने नियंत्रण के अधीन प्रशासनिक अनुभागों तथा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सेवाओं में आरक्षण हेतु निर्देशों के उचित कार्यान्वयन हेतु निर्देश देता है।

संगठन में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या का विश्लेषित विवरण, निम्नानुसार है:-

| क्रमांक | पदों की श्रेणी | अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या | अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या | अन्य पिछड़ों जातियों के व्यक्तियों की संख्या |
|---------|----------------|--|---|--|
| 1 | ग्रुप 'ए' | 19 | 04 | 22 |
| 2 | ग्रुप 'बी' | 07 | 02 | 03 |
| 3 | ग्रुप 'सी' | 48 | 22 | 52 |
| 4 | ग्रुप 'डी' | 20 | 07 | 07 |

सेवा में शारिरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व :-

शारिरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण आदेशों पर प्रभावशाली ढंग से अमल करने को आश्वासित करने हेतु संगठन प्रयासरत है। संगठन ने शारिरिक रूप से विकलांगों द्वारा भरे जाने हेतु 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' के कुछ पदों को निर्धारित किया है।

संगठन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' पदों में शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का विश्लेषित विवरण, निम्नानुसार है:-

| क्रमांक | पदो की श्रेणी | शारिरिक रूप से विकलांगों की संख्या |
|---------|---------------|------------------------------------|
| 1 | ग्रुप 'ए' | 1 |
| 2 | ग्रुप 'बी' | 0 |
| 3 | ग्रुप 'सी' | 4 |
| 4 | ग्रुप 'डी' | 0 |

सतर्कता की गतिविधियां

संगठन की सतर्कता गतिविधियों का नेतृत्व संगठन प्रमुख एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक करते हैं। मुख्यालय नागपुर के अलावा सतर्कता सेल, संगठन के सभी अंचल एवं उपअंचल कार्यालयों में, परिक्षण केन्द्र तथा एफआरडीसी, सिवाकासी में कार्यरत है। प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के प्रमुख, सतर्कता सेल का नेतृत्व करते हैं तथा उनकी रिपोर्ट मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को प्रेषित की जाती है।

निवारक सतर्कता का प्राथमिक उद्देश्य कदाचार और लालच से प्रवण या संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एवं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जारी किए गये निर्देशों एवं मार्गदर्शन का पालन किया जाता है।

सीवीसी के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण से संगठन के सभी कार्यालयों में सतर्कता जागृकता सप्ताह मनाया गया। संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ ली तथा सभी मामलों में समय से निपटान, निष्पक्षता, पारदर्शिता संपादन करने हेतु प्रणाली में उन्नयन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी निवारक उपायों की जागृकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

संगठन के अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए -

- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उस पर सतर्कता रखी जाती है।
- काम के निपटान में देरी तथा कदाचार की संभावनाओं को कम करने हेतु आम जनता के साथ नियमित कार्यालयीन व्यवहारों को अंचल एवं उप-अंचल कार्यालयों में विकेन्द्रीकृत किया गया है।
- कार्यालय प्रमुख नियमित रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं।
- अंचल कार्यालयों के प्रमुख नियमित रूप से उप-अंचल कार्यालयों के प्रमुखों की गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं।
- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अंचल प्रमुख तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं।
- नामित अधिकारी तथा कार्यालय/संगठन प्रमुख द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों/ अधिकारियों की गतिविधियों की समीक्षा करने हेतु नियमित और आकस्मिक रूप से निरीक्षण किए जाते हैं।
- संबंधित अधिकारियों से कार्यालयीन मामलों के संदर्भ में मिलने हेतु आने वाले आगंतुकों को भी सतर्कता की गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए अलग से स्वागत कक्ष बनाया गया है। उन्हें आगंतुक पास जारी किया जाता है तथा उसपर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। इसके अलावा स्वागत क्षेत्र, आगंतुक क्षेत्र, लॉबी आदि की सीसीटीवी प्रणाली के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है।
- स्वागत कक्ष में संबंधित अधिकारियों की सूची, उनके गतिविधियों के प्राधिकृत कार्यक्षेत्रों के साथ प्रदर्शित की गई है।

- जिन कर्मचारियों के कदाचार से लिप्त होने का संदेह है, उनकी सूची बनाई गई है तथा उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया जाता है ।
- कदाचार के बारे में जनता से प्राप्त शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा उसकी जाँच संगठन प्रमुख/कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाती है ।
- संगठन की वेबसाईट <http://peso.gov.in> के सब-मेनू 'शिकायत निवारण' के अंतर्गत, संगठन प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुखों के नाम उनके दूरभाष संख्या के साथ दर्शाए गए हैं तथा संगठन की वेब साईट पर नागरिक अधिकारपत्र में स्टैकहोल्डर्स की सुविधा हेतु शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया गया है ।
- अधिकारियों और सहायकों को आचरण नियम के प्रावधानों से तथा भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों से भी अवगत किया जाता है ।

.....

राजभाषा का प्रयोग

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर अपने पाँच अंचल कार्यालय तथा अठारह उप-अंचल कार्यालय, विभागीय परीक्षण केंद्र, गोंडखैरी तथा आतिशबाजी अनुसंधान तथा विकास केंद्र, सिवाकासी के साथ भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य का पूर्ण अनुपालन हेतु समन्वित प्रयास करता है। संगठन के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक श्री टी. आर. तोमस के नेतृत्व में पेसो पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है और राजभाषा संबंधी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने हेतु कृतसंकल्प है।

वर्ष के दौरान कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से संगठन के सभी कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रेरित किया गया। सरकार की राजभाषा नीति का कार्यालयों में प्रभावी कार्यान्वयन करते हुए मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने हेतु कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना लागू है एवं प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया।

आगंतुको हेतु आगंतुक पास द्विभाषी बनवाए गए हैं। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना फलक पर प्रतिदिन एक शब्द/सुविचार द्विभाषी दर्शाया जाता है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संगठन के ऑनलाईन अनुज्ञप्ती मॉड्युल को द्विभाषी बनाया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों, पत्रों, आदि को ई-मेल, सपोर्ट साईट द्वारा संगठन के सभी संबद्ध/अधिनस्थ कार्यालयों को यथाशीघ्र अनुपालन हेतु प्रेषित किए जाते हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का जवाब अनिवार्य रूप हिन्दी में ही दिया जाता है।

वेबसाईट का द्विभाषीकरण :

सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में, पेसो की आधिकारिक वेबसाईट को द्विभाषी - अंग्रेजी और हिन्दी में बनाया गया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। संगठन की गतिविधियां/महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी, आदि वेबसाईट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दर्शाई जाती है। संगठन की राजभाषायी गतिविधियों, उपलब्धियों, आदि को दर्शाने हेतु वेबसाईट पर एक अलग लिंक "राजभाषा" उपलब्ध कराई गई है।

निगरानी और निरीक्षण:

राजभाषा नीति के अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के अधिकारियों द्वारा दिनांक 26/09/2013 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद कार्यालय का निरीक्षण किया गया। हिन्दी की प्रगति में फरीदाबाद कार्यालय के योगदान की समिति ने सराहना की।

राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा मुख्यालय से अन्य अधिकारी नियमित रूप से अंचल तथा उप अंचल कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण करते हैं।

वर्ष के दौरान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा 15 राजभाषायी निरीक्षण किए गए ।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :

आलोच्य वर्ष के दौरान, उपरोक्त समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई जिसमें कार्यालयों में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई । सरकारी कामकाज तथा अन्य संबंधित गतिविधियों में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि के संबंध में कार्यालय द्वारा किए गए कार्य/प्रगति की समिति सदस्यों द्वारा प्रशंसा की गई ।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सलाहकार समिति की बैठकों में सहभाग:

माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री डॉ. ई.एम.सुदर्शन नाच्चियप्पन की अध्यक्षता में दिनांक 22.07.2013 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में श्री टी.आर.तोमस, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा श्री आर.सी. कौल, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद ने भाग लिया ।

माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री डॉ.ई.एम.सुदर्शन नाच्चियप्पन की अध्यक्षता में दिनांक 10.01.2014 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में श्री रजनीश पिपलानी, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर ने भाग लिया ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकों में सहभाग:

हिन्दी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यालय के साथ ही अंचल तथा उप अंचल कार्यालयों के अधिकारियों ने नियमित रूप से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकों में भाग लिया । श्री टी.आर.तोमस, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा श्रीमती वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी ने दिनांक 24.10.2013 को न.रा.का.स.,नागपुर की 58वीं छमाही बैठक में भाग लिया । श्री रजनीश पिपलानी, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा श्रीमती वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी ने न.रा.का.स.,नागपुर की 59वीं छमाही बैठक में भाग लिया ।

नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न अंतर कार्यालयीन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने भाग लिया और कई पुरस्कार प्राप्त किए ।

हिन्दी पत्रिका 'विस्फोटक दर्पण' का प्रकाशन:

गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित होती हैं और इसी माध्यम से राजभाषा हिन्दी की प्रगति भी होती है । इसी उद्देश्य से हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत संगठन की हिन्दी गृह पत्रिका **विस्फोटक दर्पण-अंक 13** का प्रकाशन किया गया । संगठन के सभी अंचल/उप अंचल कार्यालयों की राजभाषायी गतिविधियां, पुरस्कारो, विशेष उपलब्धियों, तथा संगठन के अधिकारी/कर्मचारियों के तकनीकी लेख/रचनाएं, पत्रिका में प्रस्तुत किए गए ।

प्रत्येक तिमाही में एक तकनीकी न्युजलेटर प्रकाशित किया जाता है जिसमें संगठन की राजभाषायी गतिविधियों का ब्योरा दर्शाया जाता है। संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण मुख्यालय से प्रकाशित किया गया।

इसके अलावा संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा कार्यालय द्वारा भी नियमित रूप से **मध्यांचल दर्पण** पत्रिका तथा **मध्यांचल समाचार** का प्रकाशन किया जाता है।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम :

हिन्दी प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता देते हुए संगठन में कर्मचारियों का प्रशिक्षण लगभग पूर्ण कर लिया गया है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हिन्दी टाइपिंग, आशुलिपि, प्राज्ञ आदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा लगभग सभी कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन - कंप्यूटर/आईटी टूल्स का प्रयोग :

संगठन द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, यूनिवर्सल कोड- यूनिकोड का प्रयोग किया जा रहा है। कार्यालय के लगभग सभी कंप्यूटर हिन्दी प्रयोग के लिए मानक भाषा एनकोडिंग - यूनिकोड एनेबल किए गए हैं। सरकारी कामकाज में कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत, द्विभाषी मॉड्यूल, वेबसाइट, ई-मेल, इंटरनेट, सपोर्ट साइट, आदि का प्रयोग राजभाषा को बढ़ावा देने के कार्य को गति प्रदान कर रहा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन में, संगठन का ऑनलाइन अनुज्ञप्ति मॉड्यूल द्विभाषी बनाया गया है। संगठन में राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर दिए गए निर्देशों और आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

हिन्दी तिमाही रिपोर्ट मॉड्यूल प्रणाली का सृजन

संगठन में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रभावी मानीटरिंग हेतु, ऑनलाइन त्रैमासिक हिन्दी प्रगति रिपोर्ट मॉड्यूल का सृजन किया गया है तथा अंचल/उप-अंचल कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त की जाती है और ऑनलाइन समीक्षा की जाती है।

हिन्दी कार्यशालाएं

संगठन के सभी कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन देते हुए चार कार्यशालाओं का अनिवार्य रूप से आयोजन किया गया। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कर्मचारियों को कठिन हिन्दी के बजाय सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी गई।

हिन्दी पखवाड़ा कार्यक्रम

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी मुख्यालय तथा संगठन के विभिन्न अंचल, उप-अंचल कार्यालय, विभागीय परीक्षण केन्द्र में हिन्दी दिवस के साथ-साथ हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़ा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया।

पखवाडे के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जैसे - हिन्दी टंकण, टिप्पण-आलेखन, निबंध, शब्द ज्ञान, चित्र पर आधारित कहानी, सुलेख, लोगो एवं पंचलाईन, अंताक्षरी प्रतियोगिता, आदि । पखवाडे के दौरान हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया । पखवाडे का मुख्य कार्यक्रम तथा हिन्दी दिवस 14 सितम्बर 2013 को मनाया गया । मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन एवं गृह मंत्रीजी का संदेश सभी को अनुपालनार्थ सुनाया गया । पखवाडे के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं मूल काम हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

प्रोत्साहन योजनाएं :

मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण/आलेखन करने के लिए, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित वार्षिक नकद पुरस्कार योजना, संगठन में लागू है । पखवाडे के दौरान विभिन्न कर्मचारियों योजना के अंतर्गत समुचित रूप सम्मानित किया गया ।

उपलब्धियां -

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट योगदान में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर द्वारा वर्ष 2012-2013 के लिए कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए **द्वितीय पुरस्कार तथा हिन्दी गृह पत्रिका विस्फोटक दर्पण अंक 12 हेतु विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया** । वर्ष 2012-2013 के लिए नराकास, नागपुर के तत्वाधान में विभिन्न कार्यालयों द्वारा आयोजित की गई अंतर-कार्यालयीन प्रतियोगिताओं में पेसो, नागपुर की हिन्दी अधिकारी श्रीमती वैशाली चिरडे को मेरे कार्यालय के संदर्भ में हिन्दी पखवाडा आयोजन की सार्थकता (पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण) प्रतियोगिता हेतु सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया । इसके अलावा कार्यालय के आशुलिपिक ग्रेड-2- श्री महेंद्र सायरे को यूनिकोड टंकण प्रतियोगिता हेतु द्वितीय पुरस्कार तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्रीमती आरती भावे को एकाक्षरी चिंतन प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा को विशेष पुरस्कार

वर्ष 2012-2013 के लिए उत्तर क्षेत्र-2 (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड) में क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों में राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा कार्यालय को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया । पुरस्कार स्वरूप कार्यालयाध्यक्ष को एक शील्ड एवं संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन में तृतीय स्थान प्राप्त करने में सराहनीय योगदान के लिए राजभाषा अधिकारी, डा० करुणामय पाण्डेय, विस्फोटक नियंत्रक को नियंत्रक को उनके नाम से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया । दिनांक 31.03.2014 को चण्डीगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार सम्मेलन में कार्यालय की ओर डा० करुणामय पाण्डेय, विस्फोटक नियंत्रक ने मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री शिवराज पाटील जी के हाथों से उक्त शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया ।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरांचल, फरीदाबाद कार्यालय की विशेष उपलब्धि

भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, द्वारा दिनांक 05.06.2013 को केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरी अंचल, फरीदाबाद कार्यालय को वर्ष 2011-12 के लिए संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए 'क' क्षेत्र (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा) में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

संगठन के विभिन्न कार्यालयों को प्राप्त हो रहे पुरस्कार इस बात का प्रमाण हैं कि पेसो में राजभाषा कार्य उंचाईयो की ओर अग्रसर हैं । संगठन अपने मूल उद्देश्य "सुरक्षा सर्वोपरि " के साथ साथ राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं ।

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, राजभाषा संबंधी अपनी सांविधिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृत परिसरों का निरीक्षण

निरीक्षण अधिकारियों के (विभिन्न श्रेणियों के) अनेक पद रिक्त रहने के कारण हुए संसाधनों की कमी के बावजूद भी विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत संगठन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृती प्राप्त खतरनाक परिसरों की निरीक्षण गतिविधियों पर बल देने के प्रयास किए गए।

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत :

वर्ष के दौरान 29,935 परिसरों का (अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त 97,940 कुल परिसरों में से) निरीक्षण किया गया। यह कुल परिसरों में से 30.56% के निरीक्षण के समतुल्य है। उपरोक्त निर्दिष्ट इकाइयों में विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत 12,399 अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों का, गैस सिलिण्डर नियमों के अंतर्गत 8,079 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का, एसएमपीवी (यू) नियमों के अंतर्गत 9,325 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का तथा अमोनियम नाइट्रेट नियमों के अंतर्गत 132 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण हुआ।

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत

वर्ष के दौरान 3,068 अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों का निरीक्षण किया गया, जो कुल 1,56,548 अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों के 1.95% के समतुल्य है। उपरोक्त निरीक्षण में पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त 3,056 परिसरों का, कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987 के अंतर्गत 12 अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों का समावेश है।

वर्ष 2013-14 में इस संगठन द्वारा, विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त और स्वीकृति प्राप्त इकाइयों की कुल 2,54,488 इकाइयों में से, 33,003 (12.96%) परिसरों का निरीक्षण किया गया। विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों में किए गए निरीक्षण की सांख्यिकीय जानकारी सारणी I में दी गई है तथा पिछले 5 वर्षों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के आंकड़े सारणी II में दिए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान जहां भी अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों में कमियों, अनियमितता या उल्लंघन पाए गए ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारक को संशोधन/अनुपालन की दिशा में नोटिस देने की कार्रवाई की गई। उन नियमों के उल्लंघन के गंभीर मामलों में जहां सुरक्षा खतरे में हो, अनुज्ञप्तियों को निलम्बित कर दिया गया या नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रकार तथा अपराध की गंभीरता के आधार पर उन्हें रद्द कर दिया गया।

सारणी - I

वर्ष 2013-2014 के दौरान किए गए निरीक्षणों का विवरण

(I) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर

| अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|---|------------------|--------------------------------------|
| अनु. क्र | अधिनियम तथा नियम | 31/03/13 को | वर्ष 2013-14 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां | योग 31.3.2014 तक | वर्ष 13-14 के दौरान किए गये निरीक्षण |
| 1. | अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 | 299 | 311 | 610 | 132 |
| 2. | विस्फोटक नियम, 2008 | 42423 | 339 | 42762 | 12399 |
| 3. | गैस सिलेण्डर नियम, 2004 | 25458 | 221 | 25679 | 8079 |
| 4. | एसएमपीवी (यू) नियम, 1981 | 27836 | 1053 | 28889 | 9325 |
| 5. | पेट्रोलियम नियम, 2002 | 155323 | 795 | 156118 | 3056 |
| 6. | कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 | 429 | 01 | 430 | 12 |
| | योग | 251768 | 2720 | 254488 | 33003 |


सारणी - II

वर्ष 2013-2014 के दौरान किए गए निरस्तीकरण, समर्पण, निलंबन और निरसन के विवरण


| अनु. क्र | अधिनियम तथा नियम | अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण | अनुज्ञप्ति का समर्पण | अनुज्ञप्ति का अंतरिम निलंबन | निलंबन | निरसन | कारण बताओ नोटिस |
|----------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------------|
| 1 | अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 | 11 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | विस्फोटक नियम, 2008 | 223 | 230 | 11 | 79 | 124 | 207 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 3 | गैस सिलेण्डर नियम, 2004 | 19 | 32 | 00 | 14 | 30 | 80 |
| 4 | एसएमपीवी (यू) नियम, 1981 | 597 | 1636 | 00 | 15 | 25 | 10 |
| 5 | पेट्रोलियम नियम, 2002 | 263 | 902 | 00 | 66 | 00 | 00 |
| 6 | कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | योग | 1113 | 2802 | 11 | 175 | 179 | 297 |

अनुज्ञप्ति प्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ
वर्ष 2013-2014



अनुज्ञप्ति प्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ
वर्ष 2013-2014



सारणी - III

पिछले 5 वर्षों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के आंकड़े

| विवरण | वार्षिक संस्थापित अनुज्ञप्ति क्षमता (मीट्रिक टन) | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|--|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| वर्ग 1 गन पाउडर (मीट्रिक टन) | 1595.55 | 827.5 | 688.6 | 710.6 | 577.7 | 549 |
| वर्ग 2 1. कार्टिज 2. साईट मिक्स (मीट्रिक टन) | 580386.5 1350385 | 225615.2 389825.7 | 183533.7 359943.5 | 238193 483828 | 267275 495946 | 269999 521419 |
| वर्ग 3 प्रभाग - 2 बूस्टर और पीईटीएन* (मीट्रिक टन) | 16418.67 | 4449.3 | 3573.8 | 5063.1 | 5656.5 | 6186 |
| वर्ग 6 प्रभाग - 1 सेफ्टी फ्यूज (मिलियन मीटर) | 268.29 | 123.1 | 77 | 81.1 | 77.1 | 75 |
| वर्ग 6 प्रभाग - 2 डिटोनैटिंग फ्यूज (मिलियन मीटर) | 576.2 | 390.6 | 284.6 | 370.6 | 634.2 | 428 |
| वर्ग 6 प्रभाग - 3 डिटोनैटर (मिलियन संख्या) | 974 | 697.5 | 724.2 | 970.7 | 992.2 | 1032 |

*पीईटीएन- पेंटा एर्थोटोल टेट्रा नाइट्रेट

दुर्घटनाओं की जाँच
दक्षिण अंचल, चेन्नई

अ. विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008:-

1. दिनांक - 04/03/2014, स्थान: कांचीपुरम (तमिलनाडु)
मृत - 6, घायल - 3

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में बड़े पैमाने पर एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। आग विनिर्माण शेड से शुरू होकर आसपास के क्षेत्र में फैल गई। आतिशबाजी के रासायनिक संरचना का अपघटन, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

2. दिनांक-26/04/2013, स्थान: सिवाकासी (तमिलनाडु)
मृत - 3, घायल - कोई नहीं

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में बड़े पैमाने पर एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। आतिशबाजी के रासायनिक संरचना का अपघटन दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

3. दिनांक- 28/04/2013, स्थान: सिवाकासी (तमिलनाडु)
मृत - 8, घायल - 4

एक अनधिकृत स्थान पर अनाधिकृत कोटिंग मशीन द्वारा क्रैकलिंग कंपोजिशन के छरों के निर्माण के दौरान विनाशकारी अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। आयरन शीट तथा क्लोरेट और लेड युक्त संवेदनशील क्रैकलिंग कंपोजिशन के बीच घर्षण का आयरन शीट की सतह पर चिपकना, दुर्घटना का संभावित कारण है, ऐसा जांच से पता चला है।

4. दिनांक - 25/04/2013 - स्थान : कुकटपल्ली, जिला : रंगारेड्डी, (आंध्र प्रदेश)
मृत - 2, घायल - कोई नहीं

डेटोनेटिंग फ्यूज विनिर्माण इकाई में एक विस्फोट हुआ। पीवीसी कोटिंग हेतु लोड करने के दौरान अर्ध-निर्मित डेटोनेटिंग फ्यूज से लदे भारी स्पूल के अचानक गिरने के कारण उत्पन्न शक्तिशाली संघात दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

5. दिनांक - 08/12/2013 - स्थान : सिवानीगुडेम, जिला: नालगोंडा (आंध्र प्रदेश)
मृत - 2, घायल - कोई नहीं

पीईटीएन ड्राईंग बिल्डिंग में पीईटीएन के सुखाने की प्रक्रिया के दौरान एक विस्फोट हुआ । पीईटीएन के अत्यधिक सुखाने (बोन ड्राईंग) के कारण विस्फोट हुआ जो दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

6. दिनांक - 29/12/2013 - स्थान : ग्राम पट्टाङ्गी, जिला - कोल्लम (केरल)

मृत - 2, घायल - 1

एक अनधिकृत आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । यह माना जा रहा है कि विनिर्माण के दौरान अनधिकृत सामग्री के प्रयोग के कारण अती संवेदनशील रासायनिक संरचना में प्रज्वलन हुआ होगा ।

7. दिनांक - 18/01/2014 - स्थान : ग्राम कंजूर, जिला - एरनाकुलम (केरल)

मृत - 2, घायल - कोई नहीं

भीड के पास 'गुंडू' नामक स्थानीय निर्मित *अनधिकृत आतिशबाजी* के अचानक गिरने से विस्फोट हुआ जिसमें 2 व्यक्ति हताहत हुए ।

8. दिनांक - 19/01/2014 - स्थान : ग्राम कंजूर, जिला - एरनाकुलम (केरल)

मृत - कोई नहीं, घायल - 24

भीड के पास 'गुंडू' नामक स्थानीय निर्मित *अनधिकृत आतिशबाजी* के अचानक गिरने से विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप 24 दर्शक घायल हुए ।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. दिनांक - 09/04/2013 - स्थान : ग्राम नमक्कल, (तमिलनाडु)

मृत - 8, घायल - 4

एक घुमावदार रोड पार करने के दौरान चालक द्वारा वाहन का नियंत्रण खोने के कारण एलपीजी रोड टैंकर गिरा और बड़े पैमाने पर एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना में वेसल पंचर होने के कारण एलपीजी का रिसाव हुआ जिसमें आग लग गई ।

किसी सख्त सतह से वाहन का घर्षण होने से उत्पन्न चिंगारी के कारण एलपीजी-हवा मिश्रित वाष्प का प्रज्वलन, दुर्घटना का संभावित कारण प्रतीत होता है ।

2. दिनांक - 14/01/2014 - स्थान : ग्राम किल्लीयासेरी, जिला - कन्नूर (केरल)

मृत - कोई नहीं, घायल - 2

एलपीजी के रिसाव के कारण एलपीजी रोड टैंकर में अग्नि दुर्घटना घटित हुई । यह देखा गया कि एक घुमावदार रोड पार करने के दौरान एलपीजी रोड टैंकर बिजली के खंभे के टकराने से पलट गया तथा प्रेशर गॉज वेसल से अलग हो गया और एलपीजी का रिसाव होने लगा । हवा

मिश्रित एलपीजी में आग लग गई । ओवरहेड बिजली लाइन से संपर्क के कारण हवा मिश्रित एलपीजी का प्रज्वलन, दुर्घटना का संभावित कारण प्रतीत होता है ।

3. दिनांक - 14/01/2014 - स्थान : ग्राम थोट्टीपल, जिला - त्रिचूर (केरल)

मृत - 4, घायल - 14

एक छोटे से घर में कुछ कारीगर एलपीजी सिलेंडर की लौ से, गहनों को सोल्डर करने का कार्य कर रहे थे जहां एक छोटे से अनधिकृत एलपीजी सिलेंडर के विस्फोट से बड़े पैमाने पर एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । एलपीजी भरने के लिए प्रयुक्त नकली सिलेंडर विस्फोट का कारण माना जा रहा है ।

4. दिनांक - 29/03/2014 - स्थान : ग्राम वेस्ट हिल, जिला - केलीकट (केरल)

मृत - 1, घायल - कोई नहीं

एस-टर्न पार करने के दौरान एक एलपीजी रोड टैंकर के पलटने से दुर्घटना घटित हुई । टैंकर एक खड़े ऑटो-रिक्शा पर जा गिरा जिसमें रिक्शा चालक की मौत हो गई । टैंकर का रोटोगेज़ दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे एलपीजी का रिसाव हुआ ।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत:

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत:-

1. दिनांक - 03/06/2013 - स्थान : ग्राम मंगलौर, जिला - दक्षिण कन्नड (कर्नाटक)

मृत - 8, घायल - 4

कूड डिस्टिलेशन यूनिट के हेवी नेफ्था रीफ्लक्स लाइन में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । नेफ्था रीफ्लक्स लाइन में नेफ्था का भारी मात्रा में रिसाव देखा गया । नेफ्था रीफ्लक्स लाइन का इन्सुलेशन रिसे नेफ्था में भिग गया तथा उसमें आग लग गई ।

2. दिनांक - 23/08/2013 - स्थान : ग्राम विशाखापट्टनम, जिला - विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)

मृत - 37, घायल - कोई नहीं

कूलिंग वॉटर टॉवर (विस्तार के अधिन) में एक सम्प में जब ट्रायल रन किया जा रहा था उसी समय एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । मेन कूलिंग वॉटर हेडर को जोड़कर ट्रायल रन किया जा रहा था । उसी कूलिंग वॉटर टॉवर के समीप के सम्प में बड़ी संख्या में श्रमिकों को आने की अनुमति दी गई थी जहां कूलिंग वॉटर बैफ्लर्स सेट करने हेतु वेल्डिंग/कटिंग का काम किया जा रहा था । छिड़के कूलिंग वॉटर पानी से उत्पन्न हाइड्रोकार्बन वाष्प में आग लग गई जिसने पूरे कूलिंग वॉटर टॉवर को अपने चपेट में ले लिया और टॉवर ध्वस्त हो गया । जलते समय, लकड़ी के बैफ्लर्स सम्प में गिर गए जिससे सम्प के भीतर 37 श्रमिकों की मौत हो गई । वे 4 मीटर से अधिक गहरे सम्प से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सके । मानक संचालन प्रक्रिया का पालन न करने और खराब नियोजन के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए ।

3. दिनांक - 16/10/2013 - स्थान : ग्राम अंबालामुगल, जिला - एरनाकुलम (केरल)

मृत - 1, घायल - कोई नहीं

कूड ऑइल टैंक के रिम सील एरीया में आग भड़क उठी। जांच से पता चला कि आग बिजली गिरने की वजह से उत्पन्न हुई।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञप्त परिसर के अंतर्गत:

1. दिनांक - 15/05/2013- स्थान : ग्राम सिवाकासी (तमिलनाडु)

मृत - 4, घायल - 18

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। जांच से पता चला कि एक अनाधिकृत छलनी से सफेद पाउडर संरचना छानने के दौरान सफेद पाउडर संरचना में विस्फोट हुआ। छलनी और संवेदनशील रासायनिक संरचना के लोहे की कीलों के बीच घर्षण, दुर्घटना का कारण हो सकता है।

2. दिनांक - 27/05/2013- स्थान : ग्राम कीलाथीरुथंगल, जिला - विरूधुनगर (तमिलनाडु)

मृत - 3, घायल - कोई नहीं

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। जांच से पता चला कि आतिशबाजी के विनिर्माण के दौरान बिजली का गिरना, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

3. दिनांक - 24/09/2013- स्थान : ग्राम मदुराई, जिला - मदुराई (तमिलनाडु)

मृत - 4, घायल - 18

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। जांच से पता चला कि लोहे के उपकरणों का उपयोग करने के कारण चिंगारी का उत्पन्न होना या क्लोरेट संरचना का प्रयोग (एफएसएल के रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार) दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

4. दिनांक - 01/11/2013- स्थान : ग्राम तंजावुर, जिला - तंजावुर (तमिलनाडु)

मृत - 9, घायल - 4

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। प्रारंभिक जांच से पता चला कि काम करने की असुरक्षित परिस्थितियों और आतिशबाजी के रासायनिक संरचना से जुड़े श्रमिकों के असुरक्षित कार्य, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

दुर्घटना की जाँच

पश्चिम अंचल, मुंबई

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008:-

1. दिनांक - 15/04/2013 - स्थान : पथारडी तालुका जिला : अहमदनगर (महाराष्ट्र)
मृत - 2, घायल - कोई नहीं
क्लोरेट युक्त आतिशबाजी संरचना की हथलाई के दौरान आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । क्लोरेट युक्त संवेदनशील रासायनिक संरचना का प्रभाव दुर्घटना का कारण हो सकता है ।
2. दिनांक - 12/05/2012 - स्थान : तलेगांव (एस.पी.), जिला - वर्धा (महाराष्ट्र)
मृत - 1, घायल - 1
डेटोनेटर विनिर्माण इकाई के फिलिंग एण्ड प्रेसिंग बिल्डिंग में एक टम्बलिंग बैरल में विस्फोट हुआ । संभवतः हवा-खनिज तारपीन तेल वाष्प मिश्रण तथा/या टम्बलिंग इकाई के ढलान पर एएसए का पर्याप्त ऊर्जा के इलेक्ट्रोस्टैटिक निर्वहन से प्रज्वलन हुआ होगा जिसके परिणामस्वरूप टम्बलर में मौजूद शैल्स का विस्फोट हो गया ।
3. दिनांक - 19/11/2013 - स्थान : गोंडखैरी, जिला - नागपुर (महाराष्ट्र)
मृत - कोई नहीं, घायल - 1
एक सेफ्टी फ्यूज विनिर्माण इकाई में गन पाउडर छानने के दौरान एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । एक सिविंग मशीन, जो लगभग एक वर्ष से खराब थी उसे मरम्मत करके घटना के दिन ही शुरू किया गया था । मशीन की मोटर से उत्पन्न चिंगारी से छलनी पर या इसके आसपास के क्षेत्र में अपशिष्ट गन पाउडर का प्रज्वलन, आग और विस्फोट का सबसे संभावित कारण था ।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञप्त परिसर के अंतर्गत:

1. दिनांक - 27/02/2014 - स्थान : करमरले, ता: - अलीबाग, जिला - रायगड (महाराष्ट्र)
मृत - 8, घायल - 16
आतिशबाजी के विनिर्माण के दौरान असुरक्षित कार्य परिस्थिति और असुरक्षित कार्यप्रणाली के कारण एक दुर्घटना घटित हुई । पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और एल्युमिनियम पाउडर जैसे कच्चे माल को क्षमता से अधिक तथा असुरक्षित ढंग से रखना दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत:

पेट्रोलियम नियम 2002:-

1. दिनांक : 08/04/2013 - स्थान : चंद्रपुर, जिला - चंद्रपुर (महाराष्ट्र)
मृत - कोई नहीं, घायल - 1
एक भूमिगत टैंक में मोटर स्पिरिट अनलोड करने के दौरान एक पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन में

पेट्रोलियम रोड टैंकर से जुड़ी अग्नि दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना की जांच से पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कारण डिस्चार्ज फॉसिट के पास संचित हवा में मिश्रित पेट्रोलियम का प्रज्वलन दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

2. दिनांक : 10/05/2013 - स्थान : हीवरी नगर, जिला - नागपुर (महाराष्ट्र)

मृत - कोई नहीं, घायल - कोई नहीं

एक पेट्रोलियम स्थापना में पेट्रोलियम रोड टैंकर से केरोसिन अनलोड करने के दौरान एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना की जांच से पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कारण डिस्चार्ज फॉसिट के पास संचित हवा में मिश्रित पेट्रोलियम का प्रज्वलन, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

3. दिनांक : 11/06/2013 - स्थान : वाडिनार, जिला - जामनगर (गुजरात)

मृत - कोई नहीं, घायल - कोई नहीं

एक पेट्रोलियम स्थापना के डबल डेक फ्लोटिंग रूफ टैंक पर एक दुर्घटना हुई । पेट्रोलियम के नुकसान की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई । टैंक की डबल डेक फ्लोटिंग रूफ के रिम सील को आंशिक क्षति हुई । टैंक पर बिजली का गिरना, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

4. दिनांक : 16/07/2013 - स्थान : वडोदरा, जिला - वडोदरा (गुजरात)

मृत - कोई नहीं, घायल - 1

एक रिफाइनरी के फ्लूइडाइज्ड कैटलिटिक क्रैकिंग यूनिट (एफसीसीयू) के भीतर फ्लेअर नॉक-आउट ड्रम के ड्रेन-सम्प के पास अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना की जांच से पता चला कि फ्लेअर नॉक-आउट ड्रम में पेट्रोलियम रिसने के परिणामस्वरूप आग लग गई ।

5. दिनांक : 28/12/2013 - स्थान : अंजर, जिला : कच्छ (गुजरात)

मृत - कोई नहीं, घायल - 2

एक भूमिगत टैंक में मोटर स्पिरिट अनलोड करने के दौरान एक पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन में पेट्रोलियम रोड टैंकर से जुड़ी अग्नि दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना की जांच से पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कारण अर्थिंग क्लैम्प के पास संचित पेट्रोलियम-हवा के मिश्रण का प्रज्वलन दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

6. दिनांक : 17/02/2014 - स्थान : दादरा, जिला : सिलवासा (दादरा एवं नगर हवेली)

मृत - 8, घायल - कोई नहीं

पेट्रोलियम क्लास 'ए' एक धातु बैरल से प्लास्टिक कंटेनर में स्थानांतरित करने के दौरान अग्नि दुर्घटना घटित हुई । बाहर निकली पेट्रोलियम वेपर प्रज्वलन के किसी अज्ञात स्रोत से प्रज्वलित हो गई ।

7. दिनांक : 27/02/2014 - स्थान : वाडिनार, जिला - जामनगर (गुजरात)

मृत - 2, घायल - 1

कच्चे तेल भंडारण स्थापना में एक 42 इंच व्यास के टैंक इनलेट हेडर पाइपलाइन के सुधार कार्य के दौरान एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई। नए पाइप असेंबली के पाइपलाइन हेडर के ग्राइंडिंग के दौरान लाइन हेडर के खुले सिरे पर अचानक आग दिखाई दी।

8. दिनांक : 22/03/2014 - स्थान : चारोटि नाका (गुजरात)

मृत - 8, घायल - 10

पेट्रोलियम टैंकर के स्किड होने के कारण अग्नि दुर्घटना घटित हुई तथा पेट्रोल का रिसाव हुआ। टैंकर और सड़क के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न चिंगारी से हवा मिश्रित पेट्रोलियम का प्रज्वलन हुआ।

गैस सिलेंडर नियम, 2004:-

1. दिनांक: 04/07/2013 - स्थान : मोर्शी, जिला - अमरावती (महाराष्ट्र)

मृत - 02, घायल - 23

एक घर में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर से स्थानीय रूप से निर्मित सिलेंडर में लिक्विड ट्रांसफर पंप की मदद से एलपीजी अंतरित करने के दौरान अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना की जांच से पता चला कि उक्त प्रक्रिया के दौरान सिलेंडर से एलपीजी का रिसाव हुआ जिससे उसमें प्रज्वलन होकर विस्फोट हुआ। प्रज्वलन का स्रोत पास ही रखा गैस स्टोव था जिसपर एलपीजी के अंतरण के समय खाना पकाया जा रहा था।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. दिनांक: 18/06/2013 - स्थान : कसारा, शहापुर (महाराष्ट्र)

मृत - 02, घायल - कोई नहीं

एलपीजी रोड टैंकर से जुड़ी एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई। जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि रोड टैंकर के ड्राइवर ने वाहन पर का नियंत्रण खो दिया और एक कंटेनर से टकराया जिसके परिणामस्वरूप एलपीजी टैंकर की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और एलपीजी का रिसाव हुआ जिसमें आग लग गई। टैंकर के पास खड़ी एक कार से उत्पन्न चिंगारी प्रज्वलन का संभावित स्रोत था।

2. दिनांक: 27/12/2013 - स्थान : भिलड, जिला वलसद (गुजरात)

मृत - 02, घायल - 1

ब्यूटाडाइन ले जा रहे एक रोड टैंकर से जुड़ी एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई। जांच में ऐसा पता चला है कि एक मोटरसाइकिल सवार, टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान उसके पीछले पहिये के

नीचे आ गया जिससे टैंकर पलट गया और उसका रोटो-गेज क्षतिग्रस्त हुआ । इसमें टैंकर से ब्यूटाडाइन का रिसाव होने लगा जिसके परिणामस्वरूप अग्नि दुर्घटना घटित हुई ।

मध्यांचल, आगरा

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008 -

जिला मजिस्ट्रेट परिसर के अंतर्गत:

1. दिनांक: 11/05/2013 - स्थान : उन्नाव गेट, जिला झांसी (उत्तर प्रदेश)

मृत - 02, घायल - कोई नहीं

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक विस्फोट हुआ । किसी भारी वस्तु का संवेदनशील संरचना पर आघात, दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

2. दिनांक: 02/06/2013 - स्थान : टप्पल, अलीगढ़, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

मृत - 02, घायल - कोई नहीं

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक विस्फोट हुआ । किसी भारी वस्तु का संवेदनशील संरचना पर आघात, दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

3. दिनांक: 19/09/2013 - स्थान : मोहन, उन्नाव, जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश)

मृत - 08, घायल -2

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक विस्फोट हुआ । जांच से पता चला है कि पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर युक्त संवेदनशील प्रतिबंधित संरचना का आतिशबाजी के विनिर्माण हेतु प्रयोग किया गया जा रहा था । संवेदनशील संरचना पर आघात या घर्षण दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

4. दिनांक: 22/09/2013 - स्थान : हापुर, जिला : हापुर (उत्तर प्रदेश)

मृत - 04, घायल -2

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक विस्फोट हुआ । यह पता चला है कि आतिशबाजी विनिर्माण के लिए अनधिकृत आतिशबाजी संरचना का इस्तेमाल किया जा रहा था । संवेदनशील संरचना पर आघात या घर्षण दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

गैस सिलेंडर नियम, 2004:-

1. दिनांक: 07/12/2013 - स्थान :सिकंदरा, जिला : आगरा (उत्तर प्रदेश)

मृत - 01, घायल -02

वाहन से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारने के दौरान एक व्यक्ति के हाथों से सिलेंडर फिसलकर सख्त सतह पर गिरकर विस्फोटित हुआ ।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 04/05/2013 - स्थान : गांव खरौली, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)

मृत - कोई नहीं, घायल - 62

स्टोरेज वेसल से अमोनिया का रिसाव होने के कारण एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । स्टोरेज वेसल के ऊपर अचानक लोहे की बीम के गिरने के कारण प्रेशर गेज क्षतिग्रस्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप अमोनिया के रिसाव हुआ ।

2. दिनांक : 17/10/2013 - स्थान : मथुरा, जिला : मथुरा (उत्तर प्रदेश)

मृत1 - 1, घायल - कोई नहीं

एक मोबाइल एलपीजी रोड टैंकर से एलपीजी का रिसाव होने के कारण नीचे जमा एलपीजी प्रज्वलित हो गई और अग्नि दुर्घटना घटित हुई । पास के एक मंदिर की रसोई, आग का संभावित स्रोत था ।

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 18/08/2013 - स्थान : महुअर, किरावली, जिला: आगरा, उत्तर प्रदेश

मृत - कोई नहीं, घायल - 1

सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से तरल ज्वलनशील पेट्रोलियम से भरी हुई एक टैंक-ट्रक के टकराने से अग्नि दुर्घटना घटित हुई । वाहन चालक के वाहन पर नियंत्रण खो देने के कारण टैंक ट्रक एक बिजली के खंभे से जा टकराया । दुर्घटना में टैंकर का एक कम्पार्टमेंट फटने के कारण पेट्रोलियम उत्पाद का रिसाव हुआ । टैंकर पर बिजली का लाईव वायर गिरने से अग्नि दुर्घटना घटित हुई ।

2. दिनांक : 18/05/2013 - स्थान : खरगोन, जिला: खरगोन, मध्य प्रदेश

मृत - कोई नहीं, घायल - 1

एक पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन के भूमिगत टैंक में मोटर स्पिरिट अनलोड करने के दौरान पेट्रोलियम रोड टैंकर से जुड़ी अग्नि दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना की जांच से पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की वजह से डिस्चार्ज फॉसिट के पास संचित पेट्रोलियम हवा के मिश्रण का प्रज्वलन दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

3. दिनांक : 14/05/2013 - स्थान : सदत, गाजीपुर जिला - गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)

मृत - कोई नहीं, घायल - 1

एक पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन के भूमिगत टैंक में पेट्रोलियम उत्पाद अनलोड करने के दौरान अग्नि दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना की जांच से पता चला कि पेट्रोलियम अनलोड करने के दौरान टैंक ठीक तरह से अर्थिंग नहीं होने के कारण अग्नि दुर्घटना घटित हुई। संचित स्थिर प्रभार के डिस्चार्ज के कारण हवा मिश्रित पेट्रोलियम का प्रज्वलन, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

उत्तरी अंचल, फरीदाबाद

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 19/09/2013 - स्थान : पांडव नगर, नई दिल्ली
मृत - कोई नहीं, घायल - 02

इम्प्रुवाइज्ड डिवाइस की सहायता से अवैध रूप से दूसरे सिलेंडर में एलपीजी ट्रांसफर करने के दौरान एलपीजी सिलेंडर भंडारण गोदाम में अग्नि दुर्घटना घटित हुई। इस दौरान एलपीजी का रिसाव हुआ तथा प्रज्वलन के किसी अज्ञान स्रोत से आग लग गई।

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत :-

पेट्रोलियम नियम 2002:-

1. दिनांक : 08/04/2013 - स्थान : भटिंडा (पंजाब)
मृत - कोई नहीं, घायल - कोई नहीं

सल्फर ब्लॉक के एसडब्लूएस-II सेक्शन के अम्ल पानी के भंडारण टैंक में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई। टैंक में मौजूद हाइड्रोकार्बन/ हाइड्रो सल्फाइड का प्रज्वलन दुर्घटना का संभावित कारण था। प्रज्वलन के संभावित स्रोत इन्सिनरेटर की गर्मी थी।

2. दिनांक : 12/04/2013 - स्थान : जोधपुर, जिला - जोधपुर (राजस्थान)
मृत - कोई नहीं, घायल - 1

एक पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन के भूमिगत टैंक में पेट्रोलियम उत्पाद अनलोड करने के दौरान पेट्रोलियम रोड टैंकर से जुड़ी अग्नि दुर्घटना घटित हुई। संचित स्थिर प्रभार के डिस्चार्ज के कारण पेट्रोलियम-हवा के मिश्रण का प्रज्वलन दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

अनअनुज्ञप्त परिसर में दुर्घटना :-

1. दिनांक : 24/08/2013 - स्थान : गुरदासपुर (पंजाब)
मृत - 02, घायल - कोई नहीं

आतिशबाजी विनिर्माण के दौरान अग्नि दुर्घटना घटित हुई । संवेदनशील आतिशबाजी संरचना पर घर्षण या प्रभाव दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

पूर्वाचल, कोलकाता

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008 -

1. दिनांक : 12/02/2014

मृत - कोई नहीं, घायल - कोई नहीं

मेसर्स एमसीएल लिमिटेड, झारसुगुडा, ओडिशा के ओपन कास्ट खदान की ओर डेटोनेटर तथा क्लास 2 इक्स्प्लोसिव ले जा रहे इक्स्प्लोसिव रोड वैन में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । बिजली के शॉर्ट सर्किटिंग के कारण सप्लाइ लाइन में आग और बाद में विस्फोट दुर्घटना का संभावित कारण था ।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 24/07/2013 - स्थान : लमशनाँग, पूर्वी जयंतिया हिल्स, मेघालय

मृत - 01, घायल - 02

7.2 लाख टन एलपीजी लेकर विशालगढ़ बॉटलिंग प्लांट की ओर जा रहा, एलपीजी रोड टैंकर, लमशनाँग, पूर्वी जयंतिया हिल्स, त्रिपुरा के एक खाई में गिर गया । संकरी सड़क तथा दुर्गम घटनास्थल की वजह से चालक का वाहन पर नियंत्रण खो देना दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

2. दिनांक : 31/01/2014 - स्थान : नगर उन्तरी] जिला गढ़वा।

मृत - कोई नहीं, घायल - कोई नहीं

मेसर्स आदित्य बिरला केमिकल्स लिमिटेड, गढ़वा द्वारा आपूर्ति किए गए क्लोरीन टोनर में से एक टोनर से क्लोरीन का रिसाव हुआ । नाइट्रोजन ट्रिनक्लोराइड की उपस्थिति या हाइड्रोकार्बन / कार्बनिक पदार्थ या नमी का प्रवेश या टोनर के अधिक भरण संभावित कारण हो सकता है ।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 31/05/2013 - स्थान: नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड नुमालीगढ़, गोलाघाट, असम।

मृत - कोई नहीं, घायल - कोई नहीं

क्रूड बूस्टर पंप में उस समय अग्नि दुर्घटना घटित हुई जब क्रूड बूस्टर पंप का केसिंग सक्शन साइड में दो भागों में कट गया तथा इंपेलर तथा केसिंग के बीच घर्षण के कारण शाफ्ट के साथ इंपेलर-नट-लॉकिंग पाइंट से इंपेलर कट गया ।

2. दिनांक : 03/08/2013 - स्थान: मेसर्स गुवाहाटी रिफाइनरी, कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड,

मृत - कोई नहीं, घायल - कोई नहीं

भूमिगत टैंक में मोटर स्परिट अनलोड करने के दौरान अग्नि दुर्घटना घटित हुई । किसी वाहन के एग्जॉस्ट से उत्पन्न चिंगारी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से संचित पेट्रोलियम हवा के मिश्रण प्रज्वलन दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।


गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 30/09/2013 - स्थान: मेसर्स आईओसीएल बॉटलिंग प्लांट, गुवाहाटी, कामरूप ।

मृत - कोई नहीं, घायल - 1

कोल्ड रिपेयरिंग शेड के वाल्व चेंजिंग मशीन में गन असेंबली तथा अन्य धातु की वस्तुओं या वीसीएम बॉडी, सिलेंडर या कन्वेयर चेन, आदि जैसे धातु की वस्तुओं के प्रभाव से उत्पन्न चिंगारी के कारण अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई ।

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा



पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अंचल तथा उप-अंचल कार्यालयों के क्षेत्राधिकार

| संख्या | अंचल तथा उपअंचल कार्यालय के नाम | पता | क्षेत्राधिकार | टेलिफोन और फॅक्स नं. |
|-----------------|---------------------------------|--|---|---|
| क. | मुख्यालय | ई मेल :- explosives@explosives.gov.in | वेबसाईट :- http://peso.gov.in | |
| 01 | नागपुर | मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, ब्लॉक-‘ए’, पाँचवा तल, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006 | समस्त भारत | एस.टी.डी कोड :0712 दुरभाष : 2510103 2510580, 2510459 2510389, 2510579 2512006,2510072, 2512091,2510139, 2512093,2512094, 2511512, 2512257 इपीएबीएक्स:2510248 फैक्स : 2510577 |
| ख. | पश्चिम अंचल | ई मेल :- jtccemumbai@explosives.gov.in | | |
| 01 | मुम्बई | संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ‘ए-1’ ओर ‘ए-2’ विंग, पाँचवा तल, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, सी.बी.डी.बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (महा.) | गुजरात, वाशिम, हिंगोली, अकोला, परभणी, महाराष्ट्र, गोवा दमन और दिव, दादरा और नगर हवेली | एस.टी.डी कोड : (022) दुरभाष :27564941, 27573881 इपीएबीएक्स:27575946 फैक्स :27575967 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 02 | बडौदा | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 8वा तल, यशकमल बिल्डिंग, सयाजीगंज, बडौदा-390020 | गुजरात | एस.टी.डी कोड: (0265) दुरभाष : 2361035, 2225159 फैक्स : 2225952 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 03 | वर्धा | विस्फोटक नियंत्रक, प्लाट नंबर - 36 तथा 37, वार्ड नंबर 18, राठी लेआउट, राष्ट्रभाषा रोड, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र) | महाराष्ट्र के वर्धा, यवतमाल, नांदेड, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली, भंडारा जिले | एस.टी.डी कोड:(07152) दुरभाष : 245006, फैक्स : 230370 |
| ग. | पूर्वांचल, कोलकाता | ई मेल :- jtceekolkata@explosives.gov.in | | |
| 01 | कोलकाता | संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक,8-एक्सप्लेनेड पूर्व, | पश्चिम बंगाल, बिहार, उडिशा, असम, मनीपुर, | एस.टी.डी कोड : (033) दुरभाष : 22480427, |

| | | | | |
|-----------------|-----------|---|--|--|
| | | पहली मंजिल, कोलकता-700 069 (पश्चिम बंगाल) | त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 22486600, 22489524, 22420686 फैक्स : 22439322 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 02 | आसनसोल | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 93 शशिभूषण गोराई रोड, पो.ऑ. आसनसोल, जिला बर्दवान-713301 (प.बं.) | बर्दवान के बांकुरा, बर्दवान और पुरुलिया, (पश्चिम बंगाल), जिले | एस.टी.डी कोड: (0341) दुरभाष : 2283967 फैक्स : 2283834 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 03 | गुवाहाटी | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जी.एन.बी. रोड, भवन मैसन के पास, चौथी मंजिल, पंचवटी, सीलपुखारी, गुवाहाटी-781003 (असम) | असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम | एस.टी.डी कोड: (0361) दुरभाष : 2662783 फैक्स : 2662503 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 04 | रांची | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री मोहन बिल्डिंग, सीता कंपाउंड, 5, मेन रोड, सुशीला ऑटोमोबाइल्स के पिछे, रांची 834001 (झारखंड) | झारखंड | एस.टी.डी कोड : (0651) दुरभाष : 2332689, 2332690 फैक्स : 2332688 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 05 | भुवनेश्वर | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एफ-35/ए, बीजेबी नगर, भुवनेश्वर-751014 जिला खुर्दा, ओडीशा | उडीसा | एस.टी.डी कोड: (0674) दुरभाष : 2433370, 2433390 फैक्स : 2430656 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 06 | पटना | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पहली मंजिल, महावीर कॉम्प्लेक्स, आदर्श कालोनी, रोड नं. 2, खेमनीचौक, पो.ऑ. न्यू जनानपुरा, पटना 800027 | बिहार | एस.टी.डी कोड : (0612) दुरभाष : 2390914 फैक्स : 2390913 |

| घ. दक्षिण अंचल, चेन्नई | | ई मेल :- jtccchennai@explosives.gov.in | | |
|------------------------|-----------|--|---|---|
| 01 | चेन्नई | संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 'ए' और 'डी' विंग, ब्लॉक 1-8, द्वितीय तल, शास्त्री भवन, 26 हेडौस रोड, चेन्नई - 600 008 (तमिलनाडू) | तामिलनाडू, कर्नाटक, केरल, आंध्रप्रदेश, पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप द्वीपसमूह | एस.टी.डी कोड : (044) दुरभाष : 28515464, 28419529, 28429945-47, 28515464 फैक्स : 28514848 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 02 | एर्नाकुलम | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सी-2, 3 रा माला, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सीएसईडोड के सामने, काक्कानाड, एरनाकुलम, कोची-682037 (केरल) | केरल, पाण्डिचेरी संघशासित क्षेत्र के अंतर्गत माहे | एस.टी.डीकोड : (0484) दुरभाष : 2427286 फैक्स : 2427276 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 03 | मंगलौर | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दूसरी मंजिल, सिटी सेंटर, हॉटेल रूपा के सामने, बलमाता रोड, मंगलौर-575001 (कर्नाटक) | कर्नाटक | एस.टी.डी कोड: (0824) दुरभाष : 2420167, 2441588 फैक्स : 2423937 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 04 | सिवाकासी | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एफआरडीसी, एफएसआय अस्पताल के पिछे, सिवाकासी पश्चिम, सिवाकासी 626124 (तमिलनाडू) | तमिलनाडू के रामनाथपुरम, मदुराई, तिरुनेलवेली, तंजावूर, थेनी, कन्याकुमारी, विरुदुनगर, टुटीकोरीन, डिन्डीगुल, मदुराई, डिन्डीगुल अन्ना और नागापट्टीनम जिले | एस.टी.डी कोड : (04562) दुरभाष : 254353, 254253 फैक्स : 255233 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 05 | वेल्लूर | विस्फोटक नियंत्रक, प्लॉट नं ए2/118, दरवाजा नंबर 3, 5 ईस्ट क्रॉस रोड, गांधी नगर टाउन पंचायत, कट्टपडी तालुका, वेल्लूर जिला - 632006 (तमिलनाडू) | तमिलनाडु के वेल्लूर धरमपुरी, तीरुवंनामलम, सालेम, ब्रोडे और कोईंबंतुर जिले | एस.टी.डी कोड : (0416) दुरभाष : 2241642 फैक्स : 2242513 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 06 | हैद्राबाद | उप मुख्य विस्फोटक | आंध्रप्रदेश, संघशासित क्षेत्र | एस.टी.डी कोड : (040) |

| | | | | |
|------------------|----------|---|---|--|
| | | नियंत्रक, रूम सं 602, छठी मंजिल, सीजीओ टावर्स, कवाडीगुडा, सिकंदराबाद 500080 (आंध्रप्रदेश) | पांडीचेरी के अंतर्गत येनम | दुरभाष : 27540359, 27547863 फैक्स : 27547803 |
| ड. | मध्यांचल | ई मेल :- jtcceagra@explosives.gov.in | | |
| 01 | आगरा | संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 63/4, ए-विंग, दुसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, संजय पॅलेस, आगरा-282 002 (उ.प्र.) | उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल और छत्तीसगढ | एस.टी.डी कोड: (0562) दुरभाष : 2521322, 2523244, 2523266 फैक्स : 2527436 |
| उप अंचल कार्यालय | | | | |
| 02 | इलाहाबाद | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सेक्टर-1, भवन नं. 66, लाजपत राय रोड, इलाहाबाद-211 001 (उ.प्र.) | उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आंबेडकर नगर, आजमगढ, बहराइच, बलरामपुर, बलियां, बारांबाकी, बस्ती, भदौली, चंदौली, देवरीया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंदा, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, कबीरनगर, कौशम्बी, लखीमपुर, खेरी, लखनउ, मिर्जापुर, मउ, महाराजगंज, प्रतापगढ, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सितापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, जिले | एस.टी.डी कोड: (0532) दुरभाष : 2250329, 2441491 फैक्स : 2644964 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 03 | भोपाल | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ई-7/41, भूतल और प्रथम तल, लाला लाजपत राय सोसायटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016 (म.प्र.) | मध्यप्रदेश | एस.टी.डी कोड: (0755) दुरभाष : 2420775, 2445270 फैक्स : 2429997 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 04 | देहरादून | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इंदिरा नगर, एशियन स्कूल के पास, | उत्तराखंड | एस.टी.डी कोड:(0135) दुरभाष : 2769780 फैक्स : 2769794 |

| | | | | |
|--|----------|--|---|---|
| | | देहरादून 248006, उत्तराखंड | | |
| 05 | रायपुर | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अवंती विहार कालोनी, मेन रोड, पोस्ट शंकर नगर, रायपुर - 492007, छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ | एस.टी.डी कोड:(0771) दुरभाष : 2442204 फैक्स : 2442204 |
| च. उत्तरी अंचल कार्यालय jtccfaridabad@explosives.gov.in | | | | |
| 01 | फरीदाबाद | संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, हॉल नं. 502, 507, लेवल 5, ब्लॉक - बी, पुराना सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-4, फरीदाबाद- 121001 (हरियाणा) | दिल्ली, जम्मू, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़ | एस.टी.डी कोड:(0129) दुरभाष : 2410730, 241770, 2410732, 2410734, 2410731, 2421388 फैक्स : 2410733 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 02 | चंडीगढ़ | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, शॉप कम ऑफिस बिल्डींग, 1134/1135, सेक्टर-22/बी, चंडीगढ़ - 160002 | पंजाब, जम्मू और कश्मिर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ | एस.टी.डी कोड :(0172) दुरभाष : 2702586, 2727234 फैक्स : 2725839 |
| उपअंचल कार्यालय | | | | |
| 03 | जयपुर | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आमपाली रोड, आमपाली पावर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर- 302004 | राजस्थान | एस.टी.डी कोड: (0141) दुरभाष : 2356731, 2356781 फैक्स : 2350279 |
| छ. परिक्षण केंद्र | | | | |
| 01 | गोंडखैरी | उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विभागीय परीक्षण केंद्र, 18 किमी, अमरावती रोड, पोस्ट गोंडखैरी, नागपुर-440023 (महा) | नागपुर, अमरावती | एस.टी.डी कोड:(07104) दुरभाष : 280374, 280305 फैक्स : 280565 |
| ज. आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, (एफ.आर.डी.सी.) | | | | |
| 01 | सिवाकासी | आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, ग्राम - अनैयुर, ईएसआय अस्पताल के पिछे, सिवाकासी | - | एस.टी.डी कोड : (04562) दुरभाष : 254402 फैक्स : 254404 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | (पश्चिम), जिला- विरूधुनगर 626124 (तामिलनाडु) | | |
|--|--|---|--|--|

वेतन तथा लेखा कार्यालय

| | | | | |
|----|--------|---|---|---|
| 01 | नागपुर | वेतन तथा लेखा अधिकारी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक- सी, पहिली मंजिल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006 (महा) | - | एस.टी.डी कोड: (0712) दुरभाष : 2510819 फैक्स : 2510819 |
|----|--------|---|---|---|

संगठन के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद

| पद का नाम | मुख्यालय | डी.टी.एस. गोंडखैरी | एफआर डीसी | चेन्नई | कोलकाता | फरिदाबाद | आगरा | मुंबई | उप- अंचल कार्यालय | कुल |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|
| मु.वि.नि. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| सं.नि.वि.मु. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| उप मु.नि.वि. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 |
| वि.नि. | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16 | 46 |
| उप वि.नि. | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 29 | 60 |
| प्र.अ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ले.अ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| निजी सचिव | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| हिन्दी अधिकारी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| वरिष्ठ तकनीकी सहायक | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| आशुलिपिक-I | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| कार्यालय अधीक्षक | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| सहायक | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 34 |
| पुस्त. सहायक. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| लेखापाल | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| उ.लि.श्रे. | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 21 | 71 |
| नि.लि.श्रे. | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 58 |
| आशुलिपिक --II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| आशुलिपिक -III | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| कनिष्ठ तकनीकी सहायक | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| चालक | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 22 |
| ग्रुप डी | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16 | 59 |
| कुल | 84 | 20 | 16 | 45 | 39 | 32 | 35 | 43 | 166 | 480 |

वर्ष 2013-2014 के दौरान विस्फोटकों का उत्पादन

| क्रं | विवरण | वर्ग | उत्पादन किलो/मीटर/संख्या |
|------|------------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | गन पावडर | 1 प्रभाग 0 | 549 |
| 2 | नाईट्रेट मिश्रण | 2 प्रभाग 0 | 269999 |
| 3 | एस एम ई | 2 प्रभाग 0 | 519878 |
| 4 | पीईटीएन + कास्ट बुस्टर | 3 प्रभाग 2 | 6186 |
| 5 | सेफटी फ्यूज | 6 प्रभाग 1 | 74 |
| 6 | डिटोनेटर फ्यूज | 6 प्रभाग 2 | 427 |
| 7 | डिटोनेटर | 6 प्रभाग 3 | 1031 |
| 8 | माइक्रो कॉर्ड | 7 प्रभाग 3 | 106261 |

विस्फोटकों का आयात तथा निर्यात


आयात :-

वर्ष 2013-2014 के दौरान शॉर्ट डिले डिटोनेटर तथा विशिष्ट प्रकार के विस्फोटकों के आयात के लिये **211 अनुज्ञप्तियां** प्रदान की गयी, जिनका प्रयोग आईल इंडिया लि., केर्न एनर्जी इंडिया लि., बी.जी.एक्प्लोरेशन अण्ड प्रोडक्शन इंडिया लि., एचएलएस एशिया लि., आईल एण्ड नॅचरल गैस कॉर्पोरेशन लि., नीको रिसोर्सेस लि., रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि., जीओइन्प्रो पेट्रोलियम लि., ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉ. लि., जोशी टेक्नोलॉजीज इन्टरनेशनल इंक., श्लुमबरजर एशिया सर्व्हीसेस लि., गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉ. लि., इलेक्ट्रोनिक्स कॉप. ऑफ इंडिया लि., इंडियन एक्स्प्लोझिक्स लि., राजस्थान एक्स्प्लोझिक्स एण्ड केमिकल लि., आयडियल डिटोनेटर प्रा. लि., सेलन एक्स्प्लोरेशन टेक्नोलॉजी लि., फोकस एनर्जी लि., प्रीमिअर एक्स्प्लोझिक्स लि., ओएओ "गॅसप्रोम", प्रीमिअर आइल (नार्थ ईस्ट इंडीया) बीवी, इसार आइल लि., एण्ड मरीन सेफ्टी प्रोडक्ट्स, एएस मोलूभोय एण्ड सन्स, एसएचएम शिपकेयर फॉर शिपिंग सिग्नल्स (पायरोटेक्निक्स) और सृजन सिस्टम प्रा.लि. पायरोटेक्नीक स्केयर कारट्रेजेस के प्रयोग हेतु (एण्टी बर्ड डिवायसेस), एअर पोर्ट एथोरिटी ऑफ इंडिया एण्ड एअर फोर्स स्टेशन के उपयोग के द्वारा किया गया । आयात किए गए विस्फोटको का मूल्य **रु 93.06 करोड** था ।

निर्यात :-

वर्ष 2013-2014 के दौरान **323 अनुज्ञप्तियां** निर्यात के लिये जारी की गई । निर्यात किए गए विस्फोटको का मूल्य **रु 276.76 करोड** था ।

पिछले 5 वर्षों में विस्फोटकों का आयात तथा निर्यात



वर्ष 2013-2014 के दौरान विस्फोटकों का नष्टीकरण

| | |
|---------------------------|----------------------|
| वर्ग -1 | 407 कि.ग्रा. |
| वर्ग -2 | 21343.912 कि.ग्रा. |
| वर्ग -3 प्रभाग 2 | 94.9 कि.ग्रा. |
| वर्ग -6 प्रभाग 1 | 15875.28 मीटर |
| वर्ग -6 प्रभाग 1 (संख्या) | 1671 संख्या |
| वर्ग -6 प्रभाग 2 | 280369.7 मीटर |
| वर्ग -6 प्रभाग 2(संख्या) | 1188 संख्या |
| वर्ग -6 प्रभाग 3 | 136805 संख्या |
| वर्ग -7 प्रभाग 2 | 2981.325 कि.ग्रा. |
| वर्ग -7 प्रभाग 2 (2) | 26050 संख्या |

गैस सिलेण्डर्स, वाल्व तथा रेगुलेटर्स का उत्पादन, आयात और निर्यात

गैस सिलेण्डर तथा वाल्व:

वर्ष, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान सिलेण्डर वाल्व तथा रेगुलेटर्स के उत्पादन का तुलानात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. संख्या | उत्पाद का विवरण | वर्ष के दौरान विनिर्मित (संख्या) | | |
|-------------|--|----------------------------------|------------------|--------------------|
| | | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| 1. | निम्नलिखित के लिए वेल्ड किये हुए लोड कार्बन स्टील गैस सिलेण्डर : | | | |
| क. | एलपीजी | 1,01,20,400 | 28,09,740 | 8,261,195 |
| ख. | डिजॉल्ड ऐसीटिलीन गैस | 6,750 | 1,680 | 398 |
| ग. | अन्य कम दाब वाली द्रवित गैस | 3,35,650 | 1,11,900 | 7037 |
| | योग (क+ख+ग) | 1,04,62,800 | 29,23,320 | 82,68,630 |
| 2. | कम दाब वाले द्रवित गैस के लिए वेल्डेड बड़े कन्टेनर | 37,740 | 11,400 | |
| 3. | स्थायी तथा उच्च दाब के द्रवित गैस के लिए सीमलेस स्टील सिलेण्डर | 7,58,856 | 9,15,566 | 690656 |
| 4. | निम्नलिखित के लिए वाल्व: | | | |
| क. | एलपीजी सिलेण्डर | 1,75,13,390 | 65,11,640 | 3,09,84,685 |
| ख. | अन्य गैस सिलेण्डरों के लिए | 16,20,710 | 9,38,650 | 97,594 |
| | योग (क+ख) | 1,91,34,100 | 74,50,290 | 3,10,82,279 |
| 5. | कम दाबवाले द्रवित पेट्रोलियम गैस रेगुलेटर | 57,70,000 | 41,20,300 | 93,91,814 |

सिलेण्डरों का आयात :

व्यापार तथा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाय प्र्यूरिटी पर्मनेन्ट गैस तथा गैस मिश्रण सिलेण्डरों में भरकर आयात करने की आवश्यकता होती है । इसलिए विभिन्न देशों से अधिक मात्रा में सिलेण्डरों के आयात के लिये स्वीकृति देने की आवश्यकता होती है । वर्ष 2013-2014 के दौरान विभिन्न गैसो/गैस मिश्रण से भरे **30,763** सिलेण्डरों के आयात तथा ऑटोमोबाइल में प्रयोग हेतु खाली सीएनजी सिलेण्डर सहित संपीडित गैस से भरने हेतु **69,680** खाली सिलेण्डरों के आयात के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई ।

सिलेण्डरों का निर्यात :

वर्ष 2013-2014 के दौरान कुल 2,98,318 भरे हुए सिलेण्डर्स का निर्यात हुआ ।

वाल्व तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस रेग्युलेटर्स का निर्यात :

कुल 1,30,150 वाल्व तथा 1,10,600 एलपीजी रेग्युलेटर्स का वर्ष 2013-2014 के दौरान निर्यात किया गया ।

सिलेण्डर्स में भरे संपीडित गैस का निर्यात :

वर्ष 2013-2014 के दौरान 3,914 खाली सिलेण्डर्स/कन्टेनर्स को आयात करके तथा गैस से भरकर पुनः निर्यात किया गया ।

वॉल्व विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान अनुमोदित)

| क्रम.सं. | कंपनियों के नाम तथा पते | गैस सर्विस |
|----------|-------------------------|------------|
| 1. | शून्य | |

एलपीजी सिलेण्डर्स के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान अनुमोदित)

| क्रम. सं. | पार्टी का नाम तथा पता |
|-----------|-----------------------|
| 1. | शून्य |

एलपीजी रेगुलेटर्स के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान अनुमोदित)

| क्रम.सं. | पार्टी का नाम तथा पता |
|----------|-----------------------|
| 1 | शून्य |

ऑटो एलपीजी कंटेनर के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान अनुमोदित)

| क्रम.सं. | कंपनी का नाम तथा पता |
|----------|----------------------|
| 1. | शून्य |

वाल्व के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान अनुमोदित)

| क्रम.सं. | कंपनी का नाम तथा पता |
|----------|----------------------|
| | |

| | |
|----|-------|
| 1. | शून्य |
|----|-------|

परिशिष्ट -11

**अनुमोदित दाबपात्र फैब्रीकेटर की सूची
(01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान अनुमोदित)**

| क्रम.सं. | कंपनी का नाम तथा पता |
|----------|---|
| 1. | मेसर्स टेक्नो प्रोसेस इक्विपमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, 2 री मंजिल, अशोक इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस, एलबीएस मार्ग, भांडूप पश्चिम, मुंबई - 400078 (महाराष्ट्र) |
| 2. | मेसर्स वसंत फैब्रिकेटर्स प्रा. लिमिटेड, 1 पांचाल एस्टेट, एसवाय नंबर 8, नरासन रोड, छापी - 385 210, तालुका वडगाम, जिला- बनासकंठा (गुजरात) |
| 3. | मेसर्स स्काईलार्क प्रेसिटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर के - 19,20,21, कूपवाड एमआईडीसी, जिला- सांगली - 416 436 (महाराष्ट्र) |
| 4. | मेसर्स राज इंजीनियरिंग को., (II यूनिट), प्लॉट नं एच -1, अतिरिक्त मुरबाड औद्योगिक क्षेत्र, गांव कूडवाली, मुरबाड, जिला- ठाणे - 421 401 |
| 5. | मेसर्स क्रायोस्टार टैंक एण्ड वेसल्स प्रा. लिमिटेड, ए-6/3, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली - 110095 |

परिशिष्ट -12

**01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान
जारी की गई एसएमई/एएनएफओ अनुज्ञप्तियां**

| क्रम.सं. | कंपनी का नाम तथा पता |
|----------|----------------------|
| 1. | शून्य |

2013-2014 के दौरान पेट्रोलियम वेसल्स के परीक्षण

मुंबई, अलंग (गुजरात), कोलकाता, विशाखापट्टनम, मंगलौर, चेन्नई तथा कोचिन बंदरगाह पर स्थित पेट्रोलियम टैंकर वेसल्स के ऑईल टैंक पंप रूम, आदि के परीक्षण के पश्चात इस संस्थान के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2013-2014 के दौरान 1682 गैस-फ्री प्रमाणपत्र जारी किये गए ।

यद्यपी शिप ब्रेकिंग याईस में पुरजे खोलकर तथा काटकर तोडने के लिए योग्य टैंकर, पेट्रोलियम वहन पात्र नही है, फिर भी इससे जुडे/ संबंधित खतरो तथा कामगारो की सुरक्षा को देखते हुए, संगठन, डॉक एन्ट्री तथा मॅन एन्ट्री के प्रयोजन के लिए गैस-फ्री कंडीशन्स के जाँच तथा परीक्षण के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है । इससे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को बढने तथा विश्व के दुसरे सबसे बडे रूप मे विकसित होने मे मदद हुई है ।

न्यायालय में उपस्थिति:

वर्ष 2013-2014 के दौरान विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोजन के मामलो में इस संगठन के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों ने 76 मौको पर अदालतों मे एक्स्पर्ट तकनिकी साक्ष्य दी।

**01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान
रिफाइनरियों के कार्य**

| अनु. क्र. | परिष्करण शाला (रिफायनरी) का नाम | क्रुड ऑयल प्रोसेस्ड/ निर्माण | स्थापित क्षमता | एलपीजी निर्माण | एलपीजी का विपणन | दुर्घटनाओं की संख्या | निर्यात | |
|--------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | एमएमटी | एमएमटी | एमएमटी | एमएमटी | | संख्या (एमटी में) | मूल्य (करोड में) |
| 1. | आयसोसीएल, दिगबोई | 0.651232 | 0.65 | 0.008467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | आयओसीएल, पानीपत | 15.0977 | 15 | 0.7355 | 0.7373 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | आयओसीएल, गुवाहाटी | 1.0190 | 1 | 0 | 0.0453 | 0 | 1.0731 | 3101.96 |
| 4. | आयओसीएल, बरौनी | 6.4780 | 6 | 0 | 0.3187 | 0 | 0.8746 | 5208 |
| 5. | आयओसीएल, हल्दीया | 7.9520 | 7.5 | 0.3168 | 0.2392 | 0 | 0.5821 | 0 |
| 6 | आयओसीएल, वडोदरा | 12.9589 | 13.7 | 0.2380 | 0.4893 | 1 | 0.3264 | 1968.9 |
| 7 | आयओसीएल, मथुरा | 6.6404 | 8 | 0.4885 | 0.2107 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | आयओसीएल, बोंगईगांव | 2.3275 | 2.35 | 0.2099 | 0.04787 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | एचपीसीएल, मुंबई | 7.7387 | 6.5 | 0.04773 | 0.37830 | 3 | 0.31451 | 1370.40 |
| 10 | एचपीसीएल, वैजाक | 0.7772 | 8.3 | 0.37950 | 0.4230 | 10 | 0.3753 | 1546 |
| 11 | बीपीसीएल, मुंबई | 0 | 12 | 0.4233 | 0 | 0 | 1.9006 | 9205.40 |
| 12 | एस्सार ऑईल लि. | 20.202 | 20 | 0.4149 | 0.8049 | 0 | 7.6705 | 40673 |
| 13 | बीपीसीएल कोच्ची रिफायनरी | 10.2853 | 9.5 | 0.7996 | 0.5135 | 0 | 0.8672 | 3729.46 |
| 14 | सीपीसीएल लि. कावेरी बेसिन रिफायनरी | 0.559 | 1 | 0.5144 | 0.01783 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | सीपीसीएल, मनाली | 10.0649 | 10.5 | 0.01792 | 0.334846 | 15 | 1.1286 | 4711.03 |
| 16 | नुमालीगढ रिफायनरी आसाम | 2.6129 | 3.0 | 0.34856 | 0.05276 | 1 | 0.1268 | 701.08 |
| 17 | आरआयएल जामनगर एसईड्रैड रिफायनरी डिवीजन | 37.722 | 33 | 0.05335 | 1.011 | 0 | 33.794 | 190.972 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 18 | डीटीए रिफायनरी डिवीजन | 30.305 | 33 | 1.011 | 0.664 | 0 | 14.405 | 76.332 |
| 19 | एमआरपीएल | 14.5464 | 15 | 0.2671 | 0.2641 | 1 | 06.7272 | 34012.425 |
| 20 | भारत ओमान रिफायनरी | 00 | 6 | 0.1590 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड | 9.27.14 | 9 | 0.7673 | 0.7768 | 1 | 0.4464 | 2453.20 |
| 22 | ओएनजीसी लिमिटेड, ताटीपाका रिफाइनरी | 0.065036 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 14404 | 86.6 |
| | योग | 197.2746 | 221.06 | 7.864827 | 7.50552 | 36 | 14474.62 | 109035.5 |

कुल स्थापित क्षमता = 197.2746 एमएमटी

कुल निर्मित एलपीजी = 7.8648 एमएमटी

कुल कूड ऑयल प्रोसेस्ड = 222.06 एमएमटी

कुल निर्मित एलपीजी = 7.5055 एमएमटी